'भारतीय खेल प्रबन्धन एक विश्लेषणात्मक अध्ययन'

शारीरिक शिक्षा में शोध उपाधि हेतु
शोध अध्ययन

सह परिदर्शक	परिदर्शक
कु० डॉ० स्वपना सक्सेना	प्रो० (डॉ०) अमरेश कुमार
प्रवक्ता- मेजर ध्यानचन्द्र	प्राचार्य- बंशी कालेज आफ ऐजुकेशन
शा० शि० संस्थान बु० वि० झाँसी	बिठूर, कानपुर

संजीव कुमार गुप्त
पी० एच० डी० शोधार्थी

मेजर ध्यानचन्द्र शारीरिक शिक्षा एवं खेल संस्थान
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी (उ०प्र०)

2007

समर्पित
माता-पिता एवं भाई

सह परिदर्शक

कु0(डॉ0)स्वपना सक्सेना
प्रवक्ता
मेजरध्यानचन्द्र शा0शि0 संस्थान
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी

परिदर्शक

प्रो0 (डॉ0) अमरेश कुमार
प्राचार्य
बंशी कालेज ऑफ एजुकेशन
बिठूर, कानपुर

जीवन वृत्त

नाम	:	संजीव कुमार गुप्त
पिता का नाम	:	श्री शिवकुमार गुप्त
जन्म तिथि	:	15 अप्रैल 1974
स्थान	:	बांदा
पता	:	छोटी बाजार, झण्डा चौराहा, बांदा
शैक्षिक योग्यता	:	बी0ए0– 1997 बी0पी0एड0 (शारीरिक शिक्षा) 1998 जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर एम0पी0ई0 (शारीरिक शिक्षा) 2001 एल0एन0आई0पी0ई0, ग्वालियर
खेल विशेषज्ञता	:	एन0आई0एस0 (बालीबाल) 1999 साई बैगलोर
खेल विशेषतायें	:	वालीबाल, फुटबाल, किक्रेट, हाकी
अनुभव	:	तीन वर्षीय शारीरिक शिक्षा के अध्यापन कार्य में (एकलव्य महाविद्यालय दुरेडी, रोड, बांदा)

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत शोध पत्र "भारतीय खेल प्रबंधन एक विश्लेषणात्मक अध्ययन" मेरे मार्गदर्शन में श्री संजीव कुमार गुप्ता के द्वारा शोध उपाधि पी0एच0डी0 हेतु किया गया एक मूल शोध कार्य है, जो कि शारीरिक शिक्षा में शोध उपाधि हेतु बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग में प्रस्तुत है।

शोधार्थी ने शोध कार्य के दौरान 200 दिनों से अधिक दिवसों में हमारे समक्ष एवं शोध केन्द्र पर प्रतिवर्ष उपस्थिति रहकर प्रस्तावित शोध अध्ययन उपाधि हेतु कार्य किया है।

आपके ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि :–

1. शीर्षक के अनुसार किया गया कार्य शोधार्थी के द्वारा किया मूल एवं नवीन कार्य है।
2. शोधार्थी ने शीर्षक के अनुसार समस्त कार्य स्वयं पूर्ण किया है।
3. शोधार्थी बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के शीरीरिक शिक्षा विभाग से शोध उपाधि हेतु समस्त आर्डिनेन्स के अनुरुप उपरोक्त शीर्षक कार्य पूर्ण किया है।
4. उपरोक्त शोध कार्य गुणवत्ता भाषा के अनुरुप उच्चकोटि का कार्य मूल्यांकन हेतु परीक्षको के लिए अनुमोदित करने योग्य एक शोध अध्ययन है।

सह शोध परिदर्शक

12/02/2007

कु0 (डॉ0) स्वपना सक्सेना

प्रवक्ता (शारीरिक शिक्षा)

मेजर ध्यान चन्द्र शारीरिक शिक्षा संस्थान

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी

शोध परिदर्शक

प्रो0 (डॉ0) अमरेश कुमार

प्राचार्य

बंशी कालेज ऑफ एजुकेशन

बिठूर, कानपुर

घोषणा

मैं निम्नलिखित शोधार्थी यह घोषणा करता हूँ कि प्रस्तुत शोध पत्र जिसका शीर्षक ''भारतीय खेल प्रबंधन एक विश्लेषणात्मक अध्ययन'' मेरे स्वयं के द्वारा प्रो0 (डॉ0) अमरेश कुमार (आचार्य शारीरिक शिक्षा एवं प्राचार्य बंशी कालेज ऑफ एजुकेशन, बिठूर, कानपुर) तथा कुमारी (डॉ0) स्वपना सक्सेना, प्रवक्ता, मेजर ध्यान चन्द्र शारीरिक शिक्षा संस्थान, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी के मार्गदर्शन में शोध कार्य करने हेतु शोध उपाधि समिति के द्वारा अनुमोदित शोध पत्र है। मैंने बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के नियमों के अनुरुप अपने शोध सलाहकार से उपरोक्त शोध उपाधि में मार्गदर्शन हेतु प्रतिवर्ष 200 दिवसों से अधिक उपस्थिति प्रस्तुत की है।

मैं पुनस्चक घोषणा करता हूँ कि मेरे संज्ञान में प्रस्तुत शोध पत्र मेरे द्वारा किया गया एक नवीन एवं मूल शोध कार्य है जो कि शोध उपाधि हेतु पूर्व में न तो किसी व्यक्ति के द्वारा न तो इस संस्थान में अथवा किसी अन्य संस्थान में अथवा किसी विश्वविद्यालय में अथवा किसी सम–विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

संजीव कुमार गुप्त

संजीव कुमार गप्त
शोध शिक्षार्थी
शारीरिक शिक्षा विभाग
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी

अनुमोदित एवं अग्रेसित
सह शोध परिदर्शक

कु0 (डॉ0) स्वपना सक्सेना
प्रवक्ता (शारीरिक शिक्षा)
मेजर ध्यान चन्द्र शारीरिक शिक्षा संस्थान
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी

शोध परिदर्शक

प्रो0 (डॉ0) अमरेश कुमार
आचार्य, शारीरिक शिक्षा एवं
प्राचार्य, बंशी कालेज ऑफ एजुकेशन
बिठूर– 209201, कानपुर

आभार-पत्र

प्रस्तुत शोध पूर्ण करने में शोध शिक्षार्थी को भारत में खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा विषय से सम्बन्धित विभिन्न–विभिन्न व्यक्तियों जिन्होने कि शोध शिक्षार्थी को शोध पूर्ण करने हेतु प्रश्नावलियों के जबाब देकर जो बहुमूल्य योगदान प्रदान किया उसके लिये शोध शिक्षार्थी उन समस्त व्यक्तियों को धन्यवाद प्रस्तुत करता है। जिनके बिना कि भारत में खेल प्रबंधन के ऊपर या विशेषणात्मक अध्ययन पूर्ण नहीं किया जा सकता था।

शोध शिक्षार्थी बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉ0 आर0पी0 अग्रवाल का विशेष रुप से ऋणी है कि उन्होने बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शोध शिक्षार्थी को ''भारतीय खेल प्रबंधन एक विश्लेषणात्मक अध्ययन'' विषय पर शोध करने का अवसर प्रदान कर भारतवर्ष में खेलकूल एवं शारीरिक शिक्षा के प्रबंधन से जुड़े हुये विषय पर एक अभूतपूर्ण शोध करने की अनुमति प्रदान की।

शोध शिक्षार्थी अपने प्रमुख परिदर्शक प्रो0 डॉ0 अमरेश कुमार प्राचार्य, बंशी कालेज ऑफ एजुकेशन, बिठूर, कानपुर को विशेष रुप से धन्यवाद प्रस्तुत करता है। क्योंकि उन्होंने प्रस्तुत शोध विषय का चित्रण एवं समय–समय पर बहुमूल्य सलाह प्रदान कर इस शोध विषय को अति महत्वपूर्ण बना दिया है। जिससे कि आमतौर पर भारत वर्ष में किये गये शोध उपाधि सिर्फ पुस्तकालयों की शोभा बढ़ाने के काम आते हैं वह इस शोध विषय का भविष्य नहीं होगा। अपितु प्रस्तुत शोध विषय भारत सरकार तथा अन्य खेलकूद से सम्बन्धित संस्थानों में भारतीय खेल के परिदृष्ट को उन्नत एवं उपयोगी रुप से सुदृढ़ी बनाये हेतु एक मार्गदर्शन के रुप में कार्य करेगी। मैं प्रो0 डॉ0 अमरेश कुमार का विशेष रुप से आभार इसलिये प्रस्तुत करना चाहता हूं कि उन्होने इस शोध विषय को पूर्ण करने हेतु शोध शिक्षार्थी को बंशी कालेज ऑफ एजुकेशन को शोध केन्द्र के रुप में प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की।

इस सम्बन्ध में कु0 डॉ0 सपना सक्सेना, प्रवक्ता मेजर ध्यानचन्द्र शारीरिक शिक्षा संस्थान, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय भी विशेष रुप से धन्यवाद की पात्र है। जिन्होंने कि सह परिदर्शक के रुप में शोध शिक्षार्थी को समय–समय पर बहुमूल्य सलाह प्रस्तुत कर शोध प्रबंध को पूर्ण करने में

योगदान प्रदान किया।

प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय सांसदों के अभूतपूर्व रुचि एवं शोध शिक्षार्थी को जो सहयोग प्रदान किया गया वह अत्यन्त ही अतुलनीय एवं प्रशासनीय हैं। राजसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री भैंरव सिंह शेखावत एवं उप राष्ट्रपति महोदय ने जिस प्रकार शोध विषय को देखते हुये संसदीय पुस्तकालय में शोध शिक्षार्थी को शोध विषय से सम्बन्धित अभिलेखों तथा स्रोतों का उपयोग करने हेतु अनुमति प्रदान की उसके लिये शोध शिक्षार्थी उनका विशेष रुप से अनुग्रहीत होते हुये उन्हें आभार प्रदान करता है। इस शोध के प्रश्नवालियों को भरवाने हेतु शोध शिक्षार्थी को अनेकों सांसदों, राष्ट्रीय व अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों, अर्जुन पुंरस्कार विजेताओं, पत्रकारों तथा शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थियों ने जो योगदान दिया उसके लिये उन समस्त व्यक्तियों को नामित तो नहीं किया जा सकता है परन्तु उनके योगदान के बिना इस विषय पर शोध असम्भव था, अतः शोध शिक्षार्थी उन समस्त व्यक्तियों को आभार प्रकट करता है जिन्होने की समय–समय पर विषय से सम्बन्धित प्रश्नावलियों का जबाब प्रदान किया और साथ ही साथ भारतीय खेलप्रबंधन सम्बन्धित विषय किये जाने वाले आवश्यक परिवर्तनों में सहयोग प्रदान किया।

शोध शिक्षार्थी विशेष रुप माननीय कु0 ज्योर्तिमय सिकदर एवं माननीय श्री अमर सिंह जी का विशेष रुप से आभार प्रकट करता है, जिन्होंने कि सम्बन्धित विषय के प्रश्नावलियों को संचालित करने हेतु अनेकों माननीय सांसदों, पत्रकारों तथा वरिष्ठ नागरिकों को अपने परिचय से प्रश्नावली पूर्ण कर इस शोध विषय को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान किया।

शोध शिक्षार्थी संसद के पुस्तकालय के सम्मानीय पुस्तकालय अध्यक्ष एवं समस्त कर्मचारियों का बहुत ही आभारी है जिन्होने कि उन्हें भारतीय संसद में खेलों से सम्बन्धित पूछे गये प्रश्नों एवं खेल मंत्रालय के द्वारा उन प्रश्नों के जबाब आदि का संकलन करने में प्रमुख योगदान किया।

शोध शिक्षार्थी भारतीय खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय के उप सूचना अधिकारी श्री संजय सिंह का विशेष रुप से आभारी हैं जिन्होने कि शोध शिक्षार्थी को भारतीय खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय से सम्बन्धित अनेकों

सूचनायें जो कि इस शोध विषय से सम्बन्धित थी प्रदान कराने में अत्यन्त सहयोग प्रदान कर शोध विषय को सम्पूर्ण करने में योगदान प्रदान किया। साथ ही साथ शोध शिक्षार्थी वरिष्ठ पत्रकार बन्धु श्री ओमशंकर गुप्ता, श्री अलोक गुप्ता, श्री अखिलेश मिश्रा एवं श्री अनुपम गुलाटी, राष्ट्रीय सहारा तथा श्री नाहिद अंसारी वरिष्ठ पत्रकार आजतक का अत्यन्त ही आभारी हैं जिन्होने कि समय–समय पर विभिन्न व्यक्तियों से अपना परिचय प्रस्तुत कर शोध विषय से सम्बन्धित प्रश्नावली तथा आंकड़ों के संकलन में सहयोग प्रदान कर शोध शिक्षार्थी को बहुत ही सहयोग प्रदान किया।

शोध शिक्षार्थी लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (सम विश्वविद्यालय) में शारीरिक शिक्षा में कार्यरत आचार्य श्रीमती डॉ0 इन्दूमती मजूमदार को भी आभार प्रकट करता है। जिन्होने कि शोध ग्रन्थ के अन्तिम प्रारुप को मूर्तरुप प्रदान करने में अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया।

मैं उपरोक्त समस्त कार्य बिना अपने पिता श्री शिवकुमार गुप्त एवं माता श्रीमती सरमन देवी के आर्शीवाद एवं शुभाशीष के बगैर कभी भी करने में सक्षम नहीं था अतः समय–समय पर मुझे जो सलाह, शक्ति एवं संयम के साथ इस विषय को पूर्ण करने में जो आर्शीवचन हमारे माता–पिता का रहा वह अत्यन्त ही अतुलनीय हैं। अन्त में मेरी पत्नी तथा मेरा पुत्र जो कि इस शोध को पूर्ण करते समय उनके साथ न रहने से उन्हें जो कष्ट एवं दुख पहुंचा परन्तु सहनशीलता के साथ उन्होने जो मेरा सहयोग इस शोध प्रबंध को पूर्ण करने में दिया व अतुलनीय है उनके सहयोग के बिना मैं कभी भी अपने इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता था।

श्री विवेक कुमार गुप्ता "जीतू" जिन्होंने कि मुझे राष्ट्र भाषा हिन्दी लिपि में इस शोध प्रबंध को टंकित करने एवं उसे मूर्तरुप प्रदान करने में जो मुझे कठिनाई आती रही उसका निदान कर आम नागरिकों की भाषा में इस शोध प्रबंध को पढ़ने लायक टंकित कर पूरा किया उसके लिये वो मेरे आभार के पात्र है। अन्त मैं उन समस्त व्यक्तियों जिन्होने किसी न किसी रुप में जिनके विषय में मैं आभार प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूं। वे समस्त व्यक्ति मेरे लिये बहुत ही महत्वपूर्ण थे तथा मैं उन सभी व्यक्तियों को आभार प्रस्तुत करता हूं।

संजीव कुमार गुप्त

(संजीव कुमार गुप्त)

शोध शिक्षार्थी

विषय सूची

तालिकाओं की सूची

परिदृष्टों की सूची

परिशिष्ट की सूची

प्रथम अध्याय

प्रथम अध्याय

परिचयः-

अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, खेलकूद एवं मनोरंजन परिषद (इचफर) के द्वारा अनुच्छेद-1 में यह घोषणा की गई है कि खेलकूद को समस्त बच्चों को मौलिक अधिकार के रुप में प्रदान किया जावे।[1]

इसी अंतर्राष्ट्रीय समिति ने अपने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 1978 के दौरान अनुच्छेद-4 के द्वारा अपनी घोषणा में शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के प्रबन्धन की जिम्मेदारी सिर्फ स्वास्थ्य शिक्षा; शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के दक्ष व्यक्तियों के जिम्मे करने हेतु अनुमोदन किया है।[2]

संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निर्मित शैक्षणिक अंतर्राष्ट्रीय एवं वैज्ञानिक संगठन की (युनेस्को) संधी के अनुरुप भारत गणराज्य ने संधि पर सहमति दी है कि भारत गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक संगठन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन परिषद के अंतराष्ट्रीय घोषणा का पालन करेगा।

भारत सरकार के द्वारा समय-समय पर भारत के विभिन्न मंत्रालयों के कार्यक्रमों एवं कार्यो की समीक्षा हेतु, अनेको संसदीय समितियों का गठन किया जाता है, उक्त समितियों में लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसद, प्रतिनिधि होते है भारत गणराज्य के द्वारा गठित उक्त समितियां विभिन्न मंत्रालयों के कार्यो एवं केन्द्रों पर जाकर मंत्रालय के द्वारा सम्पन्न कार्यो की

1- UNESCO: International Charter of Physical Education and Sports (proclaimed by 20th Session of UNESCO General Conference 1978, Paris Nov. 1978 (Article-1).

2- Ibid (Article-4)

समीक्षा कर अपना प्रतिवेदन भारतीय संसद के समक्ष प्रस्तुत करती हैं उक्त प्रतिवेदन में विभिन्न मंत्रालयों के अच्छे कार्यो को प्रोत्साहित किया जाता है एवं मंत्रालयों के निरन्तर सुधार हेतु अनुशंसा प्रस्तुत की जाती है।

इसी तारतम्य में भारत सरकार के द्वारा युवा कार्यक्रम एवं खेलकूद की संसदीय समिति का भी गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। वर्ष 1992 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग की समीक्षा हेतु गठित संसदीय समिति ने अपने प्रतिवेदन में भारत के खेलकूद के कार्यक्रमों हेतु चलाये जाने वाले विभिन्न कार्यों की समीक्षा कर खेलकूद में भारत की व्यथा पर अत्यन्त खेद व क्षोभ प्रकंट करते हुए अपने सुझाव प्रस्तुत किये। भारत में प्रचलित खेल प्रंबधन के ऊपर भी समिति ने गहरा असंतोष प्रकट किया जो कि निम्नानुसार है[3] –

अपने प्रतिवेदन के पद कमांक (एच) समन्वयन एवं जिम्मेदारी की कमी में समिति ने यह आंकलन किया है कि वर्तमान भारतीय खेल प्रंबधन में केन्द्र सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण, विभिन्न खेल संगठन एवं राज्य सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ अहम भूमिका निभा रही है। परन्तु सभी में भारतीय खेल प्राधिकरण जो कि भारत गणराज्य में खेलों के उत्थान एवं उन्नति के हेतु सर्वोच्च्य स्थान है, की गतिविधियॉ बहुत ही असंतोषजनक है।

---

3. Report of the committedx in Review the National Sports Policy and Operation Excellence, endorsed with latter No. F-119/90-S.P. IV dated 26th May 1992 issued by Govt. of India Ministry of Human Resource Development Department of Youth Affairs & Sports, New Delhi 1992.

समिति के द्वारा अपनी समीक्षा के दौरान उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रंबधन हेतु मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया है और इसके 6 क्षेत्रीय केन्द्र कार्य कर रहे है। उक्त सर्वोच्च खेल संस्थान के सर्वोच्च पद पर भारत सरकार के द्वारा प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को महानिदेशक तथा सचिव के रुप में नियुक्त किया जाता है एवं अन्य कार्यों हेतु कार्यकारी निदेशक तथा क्षेत्रीय निदेशक की नियुक्ति भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारियों में से की जाती है, परन्तु समिति के द्वारा यह पाया गया है कि भारतीय खेल प्राधिकरण के शीर्ष पदों पर नियुक्त अधिकारियों में से किसी के पास खेलकूद अथवा शारीरिक शिक्षा का आधार वह शैक्षणिक योग्यता नही है जिसके कारण कि उनके द्वारा भारतीय खेल हेतु निर्मित विभिन्न परियोजनायें बिना किसी परिणाम के निरर्थक ही समाप्त हो जाती है। अतः संसदीय समिति ने भी अपने अनुमोदन में भारतीय संसद के समक्ष अनुशंसा प्रस्तुत की है कि भारत सरकार भारतीय खेल प्राधिकरण के समस्त शीर्षस्थ पदो पर अच्छे खेलों के आधार पर सम्पन्न खिलाडियों की नियुक्ति करें जो कि खेलकूद में रुचि लेकर राष्ट्र में भारतीय खेल प्राधिकरण के विभिन्न केन्द्रों में चल रहे केन्द्रों पर विभिन्न कार्यक्रमों की अच्छी परियोजनायें तैयार कर सकें।[4]

इस संबध में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित न्यायालयीन आदेश में भी यह निर्णित किया गया है कि हाल में आयोजित कुछ ओलपिंक खेलों में छोटे–छोटे राष्ट्रों का खेल प्रदर्शन बहुत ही उम्दा किस्म का रहा जब

---

4. Ibid

कि भारत जैसे विशाल राष्ट्र जहॉ कि आबादी विश्व में दूसरे स्थान पर है का खेल प्रदर्शन दयनीय है, उक्त चिंता व्यक्त करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अत्यन्त कटु शब्दों में आलोचना करते हुए निर्णित किया है कि यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भारतीय खेलों में खिलाडियों की देखरेख एवं उन्नति की जिम्मेदारी उन व्यक्तियों को सौंपी हुई है जिनको कि खेलकूद में शून्य के बराबर आता है और वे खेल के उत्थान के बारे में न सोचते हुए आपसी दलगत बुराइयों तथा न्यायालयीन विवादों में उलझकर खेल के मैदान के बारे में सोचना बंद कर चुके है। अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को यह सलाह दी थी कि केन्द्र सरकार राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय खेलों के आयोजन में अधिक से अधिक रूचि लेते हुए खेलों के विभिन्न सर्वोच्च पदों पर शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में उपाधि प्राप्त विशेषज्ञों को ही नियुक्त करे अन्यथा उन्होने आशंका व्यक्त की कि केन्द्र सरकार के द्वारा खेलों के उत्थान हेतु प्रदान की जाने वाली अपार धनराशि के बावजूद भी परिणाम दयनीय एवं निराशाजनक है।[5]

परन्तु आज तक भी भारतीय खेलों की स्थिति में उत्थान हेतु विभिन्न खेल संस्थाओं के सर्वोच्च पदों पर आसीन अधिकारियों में शायद ही किसी के पास शारीरिक शिक्षा अथवा खेलकूद में विशिष्टता अथवा योग्यता हो। ऐसी स्थिति में शोधार्थी वर्तमान शोध उपाधि हेतु भारतीय खेल प्रबंधन के शीर्षस्थ पदों पर कार्य कर रहे अधिकारियों के संबध में एक अध्ययन कर उनके पद तथा शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद संबधी शैक्षणिक

---

5. 1991 AIR SCW : 774 M.P. Fencing Association Vs. Shri Vidya Charan Shukla & ors.

योग्यता, खेलों में उनकी भागीदारी (प्रतिनिधित्व) की जानकारी एकत्र कर उसके संबध में विश्लेषणात्मक अध्ययन करेगा तथा उक्त अध्ययन के दौरान विभिन्न वर्गो के द्वारा प्राप्त सुझावों के अनुरुप भारत के खेलों के लिए आवश्यक प्रबंध का प्रारुप कैसा हो, पर शोध करेगा।

शोध समस्या का कथन-

वर्तमान में अनुसंधान का उददेष्य भारत की वर्तमान खेल प्रबधन में कार्यरत अधिकारियों की खेल एवं शारीरिक शिक्षा संबधित शैक्षणिक योग्यता के विषय में जानकारी प्राप्त कर जनतांत्रिक विधि से भविष्य में खेल प्रबंधन हेतु नियुक्ति किये जाने वाले व्यक्तियों की वांछनीय एवं व्यवासायिक शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता के ऊपर विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना है।

परिकल्पना-

शोधार्थी के द्वारा परिकल्पना की गई है कि भारत में वर्तमान खेल प्रंबधन गैर व्यवसायिक व्यक्तियों के नियंत्रण में है तथा उक्त नियंत्रण के कारण भारतीय खेल उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं हो पा रहा है। अतः भारत के खेल प्रंबधन की जिम्मेदारी शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद विषय में शिक्षित व्यवसायिक लोगों के नियंत्रण में दिया जाना ही भारतीय खेल की उन्नति और उत्थान हेतु उचित होगा।

परिसीमा-

वर्तमान शोध हेतु भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय मे शीर्षस्थ पदों पर आसीन सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव आदि के साथ भारत सरकार के द्वारा शारीरिक शिक्षा में शारीरिक शिक्षकों को उचित शिक्षा प्रदान करने हेतु संचालित एवं पोषित संस्थान ''लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान'' (सम विश्वविद्यालय) की वरीयता क्रम से लेकर सहायक निदेशक तक के पदों के अधिकारियों पर विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया।

सीमायें-

वर्तमान अध्ययन में शोध छात्र ने भारत सरकार के युवा कार्यक्रम में खेल मंत्रालय तथा उसके द्वारा संचालित व पोषित लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (सम विश्वविद्यालय) ग्वालियर में उच्च पदों पर आसीन प्रबन्धकों एवं नीतिगत निर्णय लेने वाले अधिकारियों के द्वारा व्यवासयिक शैक्षणिक योग्यता के सम्बन्ध में अध्ययन किया।

शोधार्थी ने 1000 व्यक्तियों के विचार संग्रह किया।

कुछ गूढ एवं जटिल शब्दावलियों की परिभाषा एवं व्याख्या

खेल प्रंबधन :-

भारत में केन्द्र शासन के अधीन युवा मामलों एवं खेलकूद मंत्रालय तथा लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (सम विश्वविद्यालय) में खेलों सम्बन्धी तथा अन्य परियोजनाओं एवं उनके क्रियान्वयन से सम्बन्धित समस्त अधिकारी जो खेलों की नीति निर्धारण, भारत सरकार के द्वारा खेलों हेतु दिये

गये वित्तीय अनुदान के सम्बन्ध में निर्णय लेना तथा खेल अथवा शारीरिक शिक्षा के कार्यान्वयन से किसी भी प्रकार से जुडे हैं।

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय :-

भारत सरकार के कार्यों के निष्पादन हेतु गठित युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय जो कि खेलकूद, युवा कार्यक्रम, यूथ हास्टल, नेहरु युवा केन्द्र तथा शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में नीतिगत निर्णय लेने एवं कार्यपालन हेतु गठित किया गया है।[6] उक्त मंत्रालय में खेलकूद शारीरिक शिक्षा आदि कार्यो के प्रबन्धन एवं संचालन हेतु नीतिगत निर्णय लेने वाले अधिकारियों एवं कर्मिकों की व्यवासियक शैक्षणिक योग्यता उक्त कार्य करने हेतु अन्तराष्ट्रीय खेल संस्थानों एवं कार्यालयों के अनुरुप है या नहीं इस बात का विषलेषण इस शोध पत्र में किया गया है। इस विषय में यह भी उल्लेखित करना उचित होगा कि किस प्रकार प्राद्यौगिकी, चिकित्सा, कृषि एवं विधि मंत्रालयों में कार्यरत अधिकारीगण अथवा कार्मिक उस कार्य से सम्बन्धित व्यवसायिक शैक्षणिक योग्यता रखते हुये अपने व्यवासियक कार्यो को बुलन्दी पर पहुंचा रहे है। अतः भारतीय खेल मंत्रालय अथवा खेल प्रबन्धंन से सम्बन्धित संस्थानों में ऐसे कितने व्यवसायिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अधिकारी व कार्मिक वर्तमान में कार्यरत होकर भारत में खेल एवं शारीरिक शिक्षा के कार्यो में संलिप्त है।

---

6. Demarcation of Responsibility in Govt. of India.

गये वित्तीय अनुदान के सम्बन्ध में निर्णय लेना तथा खेल अथवा शारीरिक शिक्षा के कार्यान्वयन से किसी भी प्रकार से जुडे हैं।

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय :-

भारत सरकार के कार्यों के निष्पादन हेतु गठित युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय जो कि खेलकूद, युवा कार्यक्रम, यूथ हास्टल, नेहरु युवा केन्द्र तथा शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में नीतिगत निर्णय लेने एवं कार्यपालन हेतु गठित किया गया है।[6] उक्त मंत्रालय में खेलकूद शारीरिक शिक्षा आदि कार्यो के प्रबन्धन एवं संचालन हेतु नीतिगत निर्णय लेने वाले अधिकारियों एवं कर्मिकों की व्यवासियक शैक्षणिक योग्यता उक्त कार्य करने हेतु अन्तराष्ट्रीय खेल संस्थानों एवं कार्यालयों के अनुरुप है या नहीं इस बात का विषलेषण इस शोध पत्र में किया गया है। इस विषय में यह भी उल्लेखित करना उचित होगा कि किस प्रकार प्राद्यौगिकी, चिकित्सा, कृषि एवं विधि मंत्रालयों में कार्यरत अधिकारीगण अथवा कार्मिक उस कार्य से सम्बन्धित व्यवसायिक शैक्षणिक योग्यता रखते हुये अपने व्यवासियक कार्यो को बुलन्दी पर पहुंचा रहे है। अतः भारतीय खेल मंत्रालय अथवा खेल प्रबन्धंन से सम्बन्धित संस्थानों में ऐसे कितने व्यवसायिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अधिकारी व कार्मिक वर्तमान में कार्यरत होकर भारत में खेल एवं शारीरिक शिक्षा के कार्यो में संलिप्त है।

---

6. Demarcation of Responsibility in Govt. of India.

लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान-

भारतीय सरकार के द्वारा गठित एक स्वंयशासी संगठन लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (सम विश्वविद्यालय) जो कि 1962 में केन्द्र सरकार के द्वारा गठित कर 1987 में राष्ट्रीय खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा समिति (स्नाईप्स) के साथ समन्वय कर भारत में शारीरिक शिक्षा एवं खेलों में उच्च स्तर के शारीरिक शिक्षकों को शिक्षित करने एवं उत्थान हेतु गठित की गई थी।[7] 1995 में मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के खेल विभाग द्वारा इस संस्थान को सम विश्वविद्यालय के रुप में मान्यता प्रदान कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा शारीरिक शिक्षा में उच्च शिक्षा एवं शोध हेतु मान्य किया गया था।

खेल प्रंबधक हेतु आवश्यक व्यवसायिक योग्यता-

अन्य व्यवासायिक शैक्षणिक विषयों की तरह जैसे कि प्रौद्योगिकी विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि (बी.एस.सी. इंजी.) व (एम.एस.सी. इंजानियरिंग) चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि एम0एस0 व एम0डी0 तथाः कृषि विज्ञान या अन्य में व्यवासायिक उपाधियों की तरह "विश्व विद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा अथवा खेल विज्ञान में तीन वर्षीय स्नातक (बी.पी.ई.) के साथ-साथ स्नातकोत्तर उपाधि (एम.पी.ई.) उपाधि प्राप्त व्यक्ति को प्रबंधन में व्यवासायिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति माना जाता है।"

---

7. The Gazette of India, Part-1-Sec-1, Department of Youth Affairs & Sports, New Delhi the 28th April 1987; 444.

शोध अध्ययन का महत्व-

वर्तमान शोध अध्ययन भारत सरकार के द्वारा युवा मामलों एवं खेलकूद मंत्रालय की समीक्षा हेतु गठित समिति, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वर्तमान खेल प्रंबधन के ऊपर व्यक्त असंतोष के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र सरकार के मंत्रालय तथा लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान में खेलों के प्रंबधन, नीति निर्धारण, कार्यान्वयन आदि में कार्य कर रहें प्रबंधको की व्यवसायिक योग्यता की जानकारी प्राप्त करना है जो कि भविष्य में खेल प्रबंधक के रुप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दिशा निर्देष का काम करेगा।

यह शोध अध्ययन भारतीय खेलों के परिणाम के विषय में चिन्तन करने वाले नागरिकों, सांसदों, खेल प्रशिक्षकों, खिलाडियों एवं उन छात्रों के लिए चिंतन का आधार बनेगा और ज्ञान कोष को समृद्ध करेगा जो कि खेल के स्तर को उन्नत करके राष्ट्र को गौरवान्वित करने की इच्छा रखते हैं।

यह शोध विषय, केन्द्र सरकार तथा भारतीय संविधान के साथ–साथ विभिन्न खेल संघों, राज्यों एवं अन्य संकायों में खेलों के स्तर को उन्नत करने हेतु योग्य व्यवसायिक व्यक्तियों की सेवा प्रदान करने हेतु मार्गदर्षक बनेगा।

द्वितीय अध्याय

द्वितीय अध्याय

स्त्रोत ग्रंथों का अवलोकन–

अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, खेलकूद एवं मनोरंजन परिषद (इचफर) के द्वारा अनुच्छेद–1 में यह घोषणा की गई है कि खेलकूद को समस्त बच्चों को मौलिक अधिकार के रुप में प्रदान किया जावे।[1] अंतर्राष्ट्रीय समिति ने अपने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 1978 के दौरान अनुच्छेद–4 के द्वारा अपनी घोषणा में शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के प्रबन्धन की जिम्मेदारी स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के दक्ष व्यक्तियों के जिम्मे करने हेतु अनुमोदन किया है।[2]

भारत सरकार के द्वारा युवा कार्यकम एवं खेलकूद मंत्रालय की समीक्षा हेतु गठित संसदीय समिति के द्वारा वर्ष 1992 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग की समीक्षा पश्चात अपने प्रतिवेदन में भारत सरकार के द्वारा चलाये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा कर खेलकूद में भारत की व्यथा पर अत्यन्त क्षोभ व खेद प्रकट करते हुए अपने सुझाव प्रस्तुत किये जिनमें से भारत में प्रचलित खेल प्रबंधन के ऊपर समिति ने गहरा असंतोष प्रकट किया जो कि निम्नानुसार है –[3]

1- UNESCO: International Charter of Physical Education and Sports (proclaimed by 20th Session of UNESCO General Conference 1978, Paris Nov. 1978 (Article-1).

2- Ibid (Article-4)

3. Report of the committedx in Review the National Sports Policy and Operation Excellence, endorsed with latter No. F-119/90-S.P. IV dated 26th May 1992 issued by Govt. of India Ministry of Human Resource Development Department of Youth Affairs & Sports, New Delhi 1992.

समिति के द्वारा अपनी समीक्षा के दौरान उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रबंधन में मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित ही कर, 6 क्षेत्रीय केन्द्र के रुप में कार्य कर रहे है, उक्त सर्वोच्च खेल संस्थान के सर्वोच्च पद पर भारत सरकार के द्वारा प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को महानिदेशक तथा क्षेत्रीय निदेशक की नियुक्ति भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारियों में से किया जाता है, परन्तु समिति के द्वारा जॉच के दौरान यह पाया गया है कि भारतीय खेल प्राधिकरण के शीर्षस्थ पदों पर नियुक्त अधिकारियों में से किसी के पास खेलकूद अथवा शारीरिक शिक्षा का आधार ही नही है जिसके कारण कि भारतीय खेल हेतु निर्मित विभिन्न परियोजनायें बिना किसी परिणाम के समाप्त हो जाती हैं। अतः संसदीय समिति ने भी अपने अनुमोदन में भारतीय संसद के समक्ष अनुशंसा प्रस्तुत की कि भारत सरकार भारतीय खेल प्राधिकरण के समस्त शीर्षस्थ पदों पर शारीरिक शिक्षा व अच्छे खेलों के आधार वाले व्यवसायिक व्यक्तियों की नियुक्ति करें जो कि खेलकूद में रूचि लेकर राष्ट्र में भारतीय खेल प्राधिकरण के विभिन्न केन्द्रों में चल रहे केन्द्रों पर विभिन्न कार्यक्रमों की अच्छी परियोजनायें तैयार कर सकें।[4]

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय फेन्सिंग संघ बनाम श्री विद्याचरण शुक्ल व अन्य प्रकरण के द्वारा प्रतिपादित न्यायालयीन आदेश में यह निर्णित किया गया था कि हाल ही में आयोजित कुछ ओलपिंक खेलों में छोटे–छोटे राष्ट्रों का खेल प्रदर्शन बहुत ही उम्दा किस्म का रहा जबकि

---

4. Ibid

भारत जैसे विशाल राष्ट्र जहाँ की आबादी विश्व मे दूसरे नंबर पर है, का खेल प्रदर्शन दयनीय है, उक्त पर चिंता व्यक्त करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अत्यन्त कटु शब्दों में यह आलोचना की थी कि यह अत्यंन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भारतीय खेलों में खिलाडियों के देखरेख एवं उन्नति की जिम्मेदारी उन व्यक्तियों को सौंपी गई है जिनको कि शारीरिक शिक्षा व खेलकूद में शून्य के बराबर योग्यता है और वे खेल उत्थान के बारे में न सोचते हुए आपसी दलगत बुराइयों तथा न्यायालयीन विवादों में उलझकर खेल के मैदान के बारे में सोचना बंद कर चुके है। अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को यह सलाह दी थी कि केन्द्र सरकार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में अधिक से अधिक रूचि लेते हुए खेलों के विभिन्न सर्वोच्च पदों पर शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में उपाधि प्राप्त विशेषज्ञों को ही नियुक्त करें अन्यथा उन्होने आशंका व्यक्त की थी कि सरकार के द्वारा खेलों के उत्थान हेतु प्रदान की जाने वाली अपार धनराशि के बावजूद भी परिणाम दयनीय एवं निराशाजनक ही रहेगें।[5]

भारत सरकार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा राज्य सभा के माननीय सांसद श्रीमती बंगा गीता, श्री जनेश्वर मिश्र और श्री आर.के. गोयनका के द्वारा पूछे गये तांराकित प्रश्न सं. क्रमशः 86, 96 का उत्तर 24 नवम्बर 2000को राज्यसभा के पटल पर प्रस्तुत करते हुए युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री सुश्री उमा भारती के द्वारा यह कथन किया गया था कि खेलों के

---

5. 1991 Air SCW : 774 M.P. Fencing Association Vs. Shri Vidya Charan Shukla & ors.

लिए युवाओं का संवर्धन व विकास एक सतत प्रकिया है। भारत सरकार भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय ओलपिंक संघ तथा राष्ट्रीय संघो के परामर्श से खेल परिसंघो के प्रबंधन में सुधरी हुयी कार्यप्रणाली और व्यवसायिकता हेतु कदम उठा रही है।[6]

6. The Govt. of India Ministry of Youth Affiers & Sports; Rajya Sabha Starrt question No. 86 and 96 Aunsered by Minist. Of Youth Affairs & Sports (Sushri Uma Bharti) 24 Nov. 2000 New Delhi.

(दो) राष्ट्रमंडल खेलों मे भारतीय खिलाड़ियों की उल्लेखनीय उपलब्धि

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते है कि हाल ही में मैनचेस्टर, यूनाइटेड किंग्डम में सम्पन्न हुए सत्रहवें राष्ट्रमंडल खेलो में भारतीय खिलाड़ियों ने 32 स्वर्ण, 21 रजत और 19 कांस्य पदक जीतकर देश को गौरवन्वित किया है।

यह सभा इन प्रतिभावान खिलाड़ियों की शानदार और अभूतपर्व उपलब्धि के लिए उनकी हार्दिक प्रशंसा करती है। मैं अपनी ओर से तथा समूची सभा की ओर से देश की प्रतिष्ठा में चार चांद लगाने वाले इन खिलाड़ियों को उनकी गौरवपूर्ण सफलता पर बधाई देता हूं।[7]

19.12.2002

(चार) हिमाचल प्रदेश में खेलों के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्ताव को मंजूरी दिय जाने की आवश्यकता।

श्री सुरेन्द्र चन्देल [8] (हमीरपुर हि0प्र0) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान हिमाचल प्रदेश के अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जैसा कि आपको विदित है हिमाचल प्रदेश पहाड़ी एवं पिछड़ा क्षेत्र है, लेकिन खेल प्रतिभाओं की वहां कमी नहीं है। आवश्यकता सिर्फ उनको निखारने हेतु खेल सुविधायें मुहैया कराने की है।

---

7. लोक सभा वाद–विवाद गुरुवार 17 श्रावण, 1924 (शक) 08.08.2002 पृष्ठ क्रमांक : 290
8. लोकसभा वाद–विवाद, 28 अग्रहायण 1924 (शक) 19.12.2002 पृष्ठक्र0318

मैं आपके ध्यान मे लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार के आयुक्त एवं सचिव (युवा सेवाएं एवं खेल) विभाग ने युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति एवं सहायता प्रदान करने हेतु बिलासपुर-हि0प्र0 में 400 मीटर एथलैटिक ट्रेक निर्माण, हमीरपुर में इनडोर स्टेडियम निर्माण टौणी देवी जिला बिलासपुर में इनडोर स्टेडियम निर्माण, ऊना में तरणाताल (स्वीमंग पूल) निर्माण, हमीरपुर में खेल अकादमी स्थापित करने की परियोजना की स्वीकृति एवं हि0प्र0 के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयो में खेल के मैदानों का विकास करने एवं खेल सामग्री क्रय करने हेतु 67 प्रकरण प्रेषित किए हैं, लेकिन वे अभी तक लम्बित है। मेरा आग्रह है कि शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाये।

15.03.05

Re : Need to nominate the children of Manjhi Community of Bihar to Physically Eductioanal Colleges with a view to develop

श्री राजेश कुमार मांझी (गया) : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में अनुसूचित जाति मे एक जाति मांझी या भूईयां रहती है। ये लोग काफी, गठीले, फुर्तीले, बलशाली होते है। लेकिन इनके पास पैसे एवं खाने का काफी अभाव रहता है। अगर इनके बच्चों को बचपन से ही रेसलिंग, बॉक्सिंग, जुड़ो, कबड्डी, धनुर्विद्या (आर्चरी) इत्यादि खेलों की ट्रेनिंग दी जाये तो ये बच्चे बड़े होकर अपने देश के लिए ओलंपिक, एशियाड या कॉमनवेल्थ गेम्स में मैडल जीत सकते हैं और ये उपरोक्त वर्णित खेलों की एक प्रतिभा बनकर देश में उभरेंगे।

मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि खेल मंत्रालय उनके बच्चों के लिए ऐसी व्ययस्था करें और कम से कम प्रत्येक वर्ष 20 बच्चों का सलेक्शन करें, साई स्पोर्ट स्कूल, लखनऊ और राई में नामांकन की व्यवस्था करें।[9]

13.05.2002

(पांच) राष्ट्रीय नेटवर्क द्वारा विश्व कप फुटबाल के सभी मैचों के सीधा प्रसारण की व्यवस्था किए जाने की आवश्कता :

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : विश्व कप फुटबाल मैच की उल्टी गिनती शुरु हो गयी है। लेकिन अभी तक हमें यह मालूम नहीं हैं कि क्या लाखों भारतीय दर्शक, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, खेलों का प्रसारण देख सकेंगे। अथवा नहीं। महोदय, पूरे देश से लोग इस खेल में भाग लेते हैं। वे विश्व कप में इस आश्चर्यजनक खेल के देखने के लिए चार वर्षो तक प्रतीक्षा करते हैं।[10]

कुछ निजी टीवी चैनल इन खेलों का प्रसारण करेंगे ये खेल केवल उन शहरी क्षेत्रों में ही देखे जा सकेंगे जहां केबल टी0वी0 उपलब्ध है और देश के विशाल क्षेत्र में केवल कनैक्शन उपलब्ध नहीं है। यह गांवो में रहने वाले उन करोड़ों लोगों के लिए, जो खेलो में इस विशाल आयोजन को देखने से वंचित रह जाएंगे एक दुखद घटना होगी।

---

9. Matter Under Rule 377 Laid द्वारा राजेश कुमार मांझी (गया) 15.03.05
10. पृष्ठ क्रमांक 5001

चूंकि दूरदर्शन का प्रसारण लगभग पूरे देश में हैं, ग्रामीण दर्शकों के लिए यह एकमात्र साधन है। लोग इनके बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक है। अतः इन परिस्थितियों में, मैं सरकार से आग्रह करुंगा कि राष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से विश्वकप फुटबाल मैच 2002 में सभी मैचों के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की जाए और इस आशय की उद्घोषणा तत्काल की जाये।[11]

19.03.2002

(ख) हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए दिये जाने वाले दान पर आयकर में छूट किए जाने की आवश्कयता

श्री राजैया मल्याला (सिद्दीपेट) : वर्ष 2002 के राष्ट्रीय खेल हैदराबाद आंध्र प्रदेश में होने जा रहे हैं। 150 करोड़ रु0 की अनुमानित लागत से अनेक नये स्टेडियम और अन्य आधारभूत संरचनात्मक ढांचे का निर्माण किया जाना है। राज्य सरकार ने 16 जिला मुख्यालयों में खुले और बंद स्टेडियम और तरणातालों का निर्माण कार्य हाथ में लिया है।

आंध्र प्रदेश खेल प्राधिकरण ने खेल और क्रीड़ाओं को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्य अपने हाथों में लिए हैं। राज्य सरकार ने एक खेल नीति की घोषणा की है जिसका सभी ने स्वागत किया है। इन गतिविधियों में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों से उदारतापूर्वक

---

11. नियम 337 के अधीन मामले द्वारा श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) 13.05.02

दान देने के लिए संपर्क किया है। जैसा कि राज्य सरकार ने निवेदन किया है कि भारत सरकार को संस्थाओं और व्यक्तियों से मिलने वाले दान पर 100 प्रतिशत कर में छूट देनी चाहिए।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में शीघ्र आदेश जारी करें जिससे दान देने वाले राज्य में राष्ट्रीय खेल, 2002 निर्विघ्न सम्पन्न कराने में मदद करने के लिए सामने आएं।[12]

<u>03.12.2003</u>

(एक) हिमाचल प्रदेश में खेलों के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेन्द्र चन्देल (हमीरपुर, हि0प्र0) : महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान हिमाचल प्रदेश के अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जैसा कि आपको विदित है कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी एवम् पिछड़ा क्षेत्र है, लेकिन खेल प्रतिभाओं की वहां कमी नहीं है। आवश्यकता सिर्फ उनको निखारने हेतु खेल सुविधाएं मुहैया कराने की है।

मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार के आयुक्त एवं सचिव (युवा सेवाएं एवं खेल) विभाग ने युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति एवम् सहायता प्रदान करने हेतु बिलासपुर–हिमाचल प्रदेश में 400 मीटर एथलैटिक ट्रेक निर्माण, हमीरपुर में इनडोर स्टेडियम निर्माण, ऊना में तरण ताल (स्वीमिंग पूल) निर्माण, हमीरपुर

---

12. नियम 377 के अधीन मामले द्वारा श्री राजैया मल्याला (सिद्दीपेट) 19.03.02 पृष्ठ क्रमांक 445.

में खेल अकादमी स्थापत करने की परियोजना की स्वीकृति एवं हि0प्र0 के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में खेल के मौदानों का विकास करने एवं खेल सामग्री क्रय करने हेतु 67 प्रकरण प्रेषित किए हैं, लेकिन वे अभी तक लंबित है। मेरा आग्रह है कि शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाये।[13]

02.05.2003

भारत-पाक संबंध और हाल के घटनाक्रम के बारे में

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी बाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, 28 अप्रैल की शाम को पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री जमाली ने मुझसे टेलीफोन पर बातचीत की।

प्रधान मंत्री श्री जमाली ने श्रीनगर में मेरी टिप्पणी तथा भारत–पाकिस्तान संबंधों के बारे में संसद के दोनों सदनों में दिए गए मेरे वक्तव्य की सराहना की और इसके लिए शुक्रिया अदा किया। इन्होने आतंकवाद की भर्त्सना की।

जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम ही है, हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसा करने के लिए हम किसी भी मौके का लाभ उठाना चाहेंगे। लेकिन हम एक सार्थक बातचीत के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करने की आवश्यकता पर बार–बार जोर देते रहे हैं जिसके लिए यह अत्यंत जरुरी है कि सीमा–पार से आतंकवाद को बंद करने इसके ढांचे का उन्मूलन किया जाये।

---

13. नियम 377 के अधीन मामले द्वारा श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर हि0प्र0) 03.12.03 पृष्ठ क्रमांक 500.

हमने अपने द्विपक्षीय संबंधो को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। इस संबंध में मैने आर्थिक सांस्कृतिक सहयोग, आदान–प्रदान, दोनों देशवासियों के आपसी सम्पर्क तथा नागरिक उड्डयन संबंधो के महत्व पर बल दिया। इनसे एक ऐसा माहौल पैदा होगा जिसमें हमारे द्विपक्षीय संबंधो के जटिल मुद्दों का समाधान निकाला जा सकेगा। प्रधान मंत्री जमाली ने दोनों देशों के बीच खेल–कूद संबंध फिर से शुरु करने का सुझाव दिया। हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि शुरुआती तौर पर, इन कदमों पर विचार किया जा सकता है।[14]

29 अप्रैल 2003

(ग्यारह) देश के प्रत्येक जिले में युवा सेवा केन्द्र स्थापित किए जाने और खेलकूद स्टेडियम का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री डी0 वेणुगोपाल (तिरुपतूर) : भारत जैसे विशाल देश में जहां कई जाति समुदाय के लोग रहते हैं खेल–कूद को प्रोत्साहन और राष्ट्र–निर्माण जिसमें युवा भी शामिल हैं, को अभी भी ज्यादा महत्व देने की जरुरत हैं। हमारी आबादी के 75 प्रतिशत से अधिक 35 वर्ष से कम आयु वर्ग में आती हैं। देष के लगभग 102 करोड़ लोगों में से लगभग 34 प्रतिशत 15–35 वर्ष के आयु वर्ग के हैं। यह जानकर दुःख होता है कि खेल–कूद छात्रवृत्ति के लिए इस वर्ष का आवंटन पिछले वर्ष से कम है। इसे अपने युवाओं को अगले एशियाई खेलों या एथेन्स ओलंपिक के लिए तैयार करने में हमें मदद नहीं मिलेगी। इसी प्रकार, राष्ट्रीय सेवा कोर और हाल ही में स्थापित राष्ट्रीय पुनः

---

14. प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य– प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेई 02.05.03 (एल0टी0 7624/2003) पृष्ठ क्रमांक 345

निर्माण कोर के लिए इस साल का आंवटन भी कम हैं। ऐसे समय में हम जब भूमंडली करण की ओर जा रहे हैं और निजी क्षेत्रों को और अधिक भूमिका देने जा रहे हैं तब हमें अपने युवाओं को सामाजिक और सामुदायिक सेवा क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय युवा आयोग से प्रतिवेदन आने में भी विलम्ब हुआ है। नई सहस्त्राब्दि में युवाओं के लिए एक कार्य योजना बनाने में मदद करने हेतु उत्तरदायी युवा नेताओं और खिलाड़ियों को शामिल करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से देश के प्रत्येक जिले में युवा सामाजिक सेवा केन्द्र और खेल–कूद स्टेडियम की स्थापना के लिए अनुरोध करता हूं।[15]

10.03.03

श्री जोवकिम बखला (अलीपुरद्वार) : सभापति महोदय, मुझे इस वाद–विवाद में भाग लेने और आम बजट पर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति देने हेतु मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं जानता हूं कि जहां तक खेलों का संबंध हैं, बजट में इसका कुछ विशेष उल्लेख होना चाहिए था। जहां तक विश्व कप का सवाल है, सौरव गांगुली के नेतृत्व में हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल खेल रहे हैं लेकिन आपके माध्यम से मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार उन युवाओं को विशेषकर भारत के दूरदराज के क्षेत्रों में युवाओं को क्या समर्थन दे रही है जो कि खेलों में रुचि रखते हैं और प्रतिभाशाली है। वह क्या कदम उठा रही हैं?

---

15. नियम 377 के अधीन मामले द्वारा श्री डी0 वेणूगोपाल (पिरुपत्तूर) 29.04.03 पृष्ठ क्रमांक 265.

लोगों के इस वर्ग को वे क्या वित्तीय सहायता दे रही है? इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं।[16]

<u>27.02.2003</u>

<u>*श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) :*</u> माननीय अध्यक्ष महोदय, हम भारतीय क्रिकेट टीम को उनके कल के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देना चाहते हैं और हम सभी को भारतीय क्रिकेट टीम के फाइनल में पहुंचने के लिए शुभकमनाएं जरुर देनी चाहिए। चूंकि पहले क्रिकेट संबंधी निकाय के प्रमुख आप थे, इसलिए मेरा विचार है कि यह संदेश एक बार फिर से टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए आपकी ओर से जाना चाहिए।[17]

<u>08.12.2004</u>

(आठ) सर्कस उद्योग को खेलकूद और मनोरंजन उद्योग के समान मानते हुए उसे प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता

श्री अब्दुल्लाकुट्टी (कन्नानौर) : महोदय, मैं केरल की जिस कन्ननौर संसदीय क्षेत्र का प्रतनिधित्व करता हं वह भारतीय सर्कस उद्योग का केन्द्र बिन्दु समझा जाता है।

सर्कस खेलकद और मनोरंजन दोनों का एक सुमेल है– खेलकूद इसलिए क्योंकि सर्कस के कलाकार सीधे दर्शकों के सामने अपनी कलाबाजियां दिखाते हैं और मनोरंजन इसलिए क्योंकि यह रेडियो और टेलीविजन से

---

16. सामान्य बजट 2003–04 सामान्य चर्चा द्वारा श्री जोवाकिम बखला (अलीपुर द्वारस) 10.03.03 पृष्ठ क्रमांक 555.
17. पूर्वान्ह 1–14 बजे निधन व बधाई सम्बन्धी उल्लेख द्वारा श्री प्रियरंजन दास मुंशी (रायगंज) 27.02.03 पृष्ठ क्रमांक 06

स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करता है जिस परिवार के बड़े–बूढ़ों से लेकर बच्चों तक के साथ देखा जा सकता है। इसके बावजूद इस उद्योग को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है और अब कई कारणों से यह लुप्तप्राय होता जा रहा है।

रुस और चीन की भांति इस उद्योग को राज्य संरक्षण प्राप्त नहीं है। इन देशों में सर्कस प्रशिक्षण अकादमी और संस्थाएं सरकार के सरंक्षण में कार्य करती है। बाल सर्कस कलाकर इस उद्योग से दक्षता प्राप्त करने के लिए कई वर्ष तक कड़े अभ्यास और व्यायाम का प्रशिक्षण आरम्भ करते हैं। भारत के बाल श्रम कानून बच्चों को सर्कस उद्योग में प्रशिक्षण और प्रदर्शन को बढ़ावा देने से रोकते है। अतः इन कानूनों में परिवर्तन किया जाना चाहिए।

चूंकि सर्कस में लंबे समय से वन्य जीवों को पालूत बनाने और उन्हें प्रशिक्षण देने का कार्य होता रहा है, भारतीय वन्यजीव अधिनियम के उपबन्ध सर्कस उद्योग के लिए इस दृष्टि से कुठारा घात साबित हुए हैं कि वे उपबन्ध बन्य जीवों को उनकी प्राकृतिक दशा में रहने से भी अधिक संरक्षण प्रदान करते हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि सर्कस उद्योग को खेलकूद और मनोरंजन उद्योग के समकक्ष मानते हुए इसे बढ़ावा दें।[18]

---

18. नियम 377 के अधीन मामले द्वारा श्री अब्दुल्लाकुद्दी (कन्नौर) 08.12.04 पृष्ठ क्रमांक 697.

17.02.2003

राष्ट्रपति का अभिभाषण

महासचिव महोदय मैं 17 फरवरी 2003 को एक साथ समवत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा नीति का नया मसौदा तैयार किया है। एक राष्ट्रीय युवा आयोग बनाया गया है। 17 वें राष्ट्रमंडल खेलों तथा 14 वें ऐशियाई खेलों में अपने शानदार प्रदर्षन के लिए भारतीय खिलाड़ी बधाई के पात्र है। इस वर्ष के अंत में अफ्रीकी– एशियाई खेल आयेाजित करने के निर्णय से देश में खेलों को और प्रोत्साहन मिलेगा। मैं अपने होनहार खिलाड़ियों तथा खेल संस्थाओं से अपील करता हूं कि वे अगले वर्ष होने वाले ओलम्पिक खेलों की तैयारियों में पूरी तरह से जुट जाएं, माननीय सदस्यगण, आइए हम दक्षिण अफ्रीका में विश्व कप टूर्नामेंट खेल रही भारतीय क्रिकेट टीम को अपनी शुभकमानाएं दे।[19]

18.08.04

एथेंस ओलंम्पिक में रजत पदक जीतने पर मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर को बधाई

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे विश्वास है कि एथेंस ओलम्पिक खेलों मे डबल, ट्रैप शूटिंग स्पर्धा में रजत पदक जीतने की शानदार

---

19. राष्ट्रपति का अभिभाषण (संयुक्त बैठक) राष्ट्रपति श्री के0आर0 नारायणन 17.02.03 पृष्ठ क्रमांक 308.

उपलब्धि के लिए सम्पूर्ण सभा मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर को बधाई देने में मेरे साथ सम्मिलित होगी। स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी भारतीय ने ओलम्पिक खेलों के किसी एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। उन्होंने देश और सशस्त्र बलों को गौरवान्वित किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस उपलब्धि से भारतीय ओलम्पिक दल को नई ऊंचाईयां छूने और देश का यश दिलाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। मेजर राठौर की इस उपलब्धि से देश के खिलाड़ियों और युवा वर्ग को अपने–अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ाने की भी प्रेरणा मिलेगी।[20]

<u>02.12.04</u>

(बारह) तामिलनाडु में मंगलोर में एक खेल स्टेडियम का निर्माण किए जाने की आवश्यकता।

श्री ई0 पोन्नुस्वामी (चिदंबरम) : महोदय, खेल और शारीरिक शिक्षा से संबंधित गतिविधियाँ अपने स्वास्थ्य और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। मित्रवत् प्रतियोगिता की भावना का एक युवा के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। खेलों में बेहतर प्रदर्शन से उपलब्धि राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति की भावना बढती है। खेल लाभकारी मनोरंजन उपलब्ध कराता है, उत्पादकता में सुधार लाता है। और सामाजिक तालमेल और अनुशासन को बढ़ावा देता है।

---

20. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख (लोक सभा वाद–विवाद) श्री सोमनाथ चटर्जी 18.08.04 पृष्ठ क्रमांक 01

खेलों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए मैने अपने निर्वाचन क्षेत्र में युवा–हॉस्टल और स्पोर्टस स्टेडियम के अनुमोदन के लिए 13 सितम्बर 2001 को तत्कालीन खेलमंत्री को पत्र भेजा। तत्कालीन मंत्री ने मेरे अनुरोध पर विचार किया और उन्होने मेरे निर्वाचन क्षेत्र चिदंबरम में 1.5 से 2.0 एकड़ की उपयुक्त विकसित भूमि ढूंढने के पश्चात् हॉस्टल निर्माण पर सहमति दे दी। तमिलनाडु में मंगलौर, युवा हॉस्टल सहित स्पोर्टस स्टेडियम के निर्माण के लिए उपुयक्त स्थान है। मैने जिला कलेक्टर से भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है जिसके लिए उन्होने ही सहमति दे दी यदि वहां से भी कुछ नहीं होता तो एक निजी भूमि–मालिक भूमि का दान करने के लिए तैयार है। अतः मैं माननीय खेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह तत्काल मामले पर विचार करें और कर्नाटक की बजाय तमिलनाडु के मंगलौर में युवा हॉस्टल एक स्पोर्टस स्टेडियम के निर्माण पर कार्रवाई शुरु करें ताकि तामिलनाडु के इस हिस्से में खेल संबंधी विकसात्मक गतिविधियां हो सके।[21]

<u>26.02.05</u>

खेलकूद क्षेत्र में उपलब्धियाँ रेलवे की

वर्ष 2004–05 के दौरान खेलकूद के क्षेत्र में भारतीय रेलों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर उत्कृष्ट प्रदर्षन रहा है। भारतीय रेलवे की शतरंज टीम ने नवम्बर 2004 में स्लोवाकिया देश के पिएस्तानी शहर में हुई विश्व रेलवे यू0एस0आई0सी0 शंतरज चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता।

---

21. नियम 377 के अधीन मामले (प्रश्न नं0 बारह) द्वारा श्री ई0 पोन्नूस्वामी (चिदंबरम) 02.12.04 पृष्ठ क्रमांक 384

चालू वर्ष में भारतीय रेलवे की खिलाड़ी सुश्री रषेल थोमस को साहसिक खेल स्काई डाइविंग में अपने उतकृष्ट प्रदर्शन के लिए पद्म श्री के सम्मान से नवाजा गया है। पांच रेलकर्मियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया एवं भारतीय रेलों के खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में 16 राष्ट्रीय पदक जीते।[22]

02.05.2005

The Need to Promote sports and to create more Infrastructor for deveppment of sports complex in the conuntdery

श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर कृष्णा नगर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रखना चाहती हूं मै खुद एक खिलाड़ी हूं और खेल की दुनिया से मेरा बहुत ही नजदीक का रिश्ता रहा है, इसलिए खेल की दुनिया में परेशानियां और समस्याएं, अच्छाई और बुराई के साथ मैं परिचित रही हूं। करीब एक वर्ष मैं एच0आर0डी0 कमेटी की मैम्बर भी रही हूं। खिलाड़ियों से मुझे बातचीत करने का मौका मिला है। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि जब मैने स्पोट्र्स में भाग लिया था, तब भी जिन–जिन परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ा था, आज भी खिलाड़ियों के सामने वही परेशानियां हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि आज तक खेल को शिक्षा का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया। जब तक खेलकूद को शिक्षा का हिस्सा नहीं

---

22. रेलवे बजट– 2005–06 द्वारा श्री लालू यादव (रेलमंत्री) 26.02.05 पृष्ठ क्रमांक 27

बनाया जायेगा, तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि दूसरे मंत्रालयों से पूछें और एक नई खेल नीति बनायें और खेलों को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाये और स्कूल से ही बच्चों को खिलाड़ी चुनना आवश्यक है।

वैसे तो हमारे यहां क्रिकेट और टेबिल टेनिस को बहुत ही महत्व दिया जाता है, लेकिन भारत में जो बहुत से खेल हैं,, जैसे फुटबाल, हॉकी और एथलेटिक्स हैं, इन सभी खेलों के लिए हम देखते हैं कि हॉकी में हम ओलम्पिक में पहले गोल्ड मैडल लेकर आते थे, लेकिन आज फाइनल में पहुंचना भी बहुत दूर की बात है। फुटबाल में एशियन गेम्स में हमें गोल्ड मैडल मिलता है। आज एशियन गेम्स में फुटबाल में फर्स्ट राउंड में आउट हो जाते हैं। आज फुटबाल के लिए हमें विदेशों से खिलाडियों को लेकर आना पड़ रहा है। मैं बताना चाहती हूं कि जो गांवों के खेल हैं, उनका विकास करना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने जो कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिभा के लिए जो 'साई' का प्रोसेस है, यह प्रोसेस बहुत ही गलत है, क्योंकि अभी–अभी कोलकाता में जो 'साई' ने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को लिया था, उसमें से सिर्फ इंग्लिश पेपर में एडवराटाइजमेंट में देते हैं तो गांव का खिलाड़ी कौन इग्लिश पेपर पढ़ता है। मैं यह कहना चाहूंगी कि स्कूल में कम से कम इन्फोर्मेशन दे दी जाये तो फिर गांव के खिलाड़ियों को मालूम पड़ेगा कि 'साई' में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ले रहे हैं।

हम सभी यह सोचते हैं कि हमारे देश के खिलाड़ी ओलम्पिक में गोल्ड मेडल क्यों नहीं ला रहे हैं। सदन के सभी माननीय सदस्यों को मैं एक बात कहना चाहती हूं कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से किसी सरकार ने खेल के विकास के लिए सही कदम नहीं उठाया है। वर्ष 1975 में एक रुरल विमन फेस्टिवल की शुरुआत की गयी थी, किन्तु आज तक उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। आज भी ब्लाक लेबल के लिए एक हजार रुपये, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए तीन हजार रुपये और स्टेट लेवल के लिए दस हजार रुपये ही दिए जाते हैं। ऐसे में हम कैसे यह आशा रख सकते हैं कि हमारे खिलाड़ी ओलम्पिक में गोल्ड मेडल जीत कर ले आएंगे।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि संबंधित राष्ट्रीय खेल महासंघ, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों और खेल वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के परामर्श से विभिन्न खेल विधाओं के लिए दीर्घावधिक विकास योजनाओं को अन्तिम रुप देगा और योजनाओं को क्रियान्वित करेगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि किन खेलों के विकास के लिए वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से परामर्श और सहायता ली जाती है। मुझे वर्ष 1980 में दो गोल्ड मेडल मिले, किन्तु आज तक मुझसे कोई सलाह नहीं ली गई है। ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब बोलने का मौका मिला है और जनता ने यह मौका दिया है।

श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर (कृष्णानगर) : माननीय मंत्री जी ने खुद ही कहा कि कोचेज को शिक्षा देने के लिए विदेश में भेज रहे हैं। फिर माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम अच्छा प्रदर्शन करने के लिए विदेशी, कोच रख रहे है। अध्यक्ष महोदय मैं यह बात कहना चाहूंगी कि हम अपने कोचेज को विदेश में क्यों भेज रहे हैं जबकि हमारे पास 1440 से 1500 के अंडर में कोचेज हैं, और उनको 15000 से 20000 रुपए महीना तनख्वाह दी जाती है। मैं एक सुझाव देना चाहूंगी कि विदेश से जो कोचेज आ कर हमारे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है। इससे अच्छा विदेशी कोच ला कर हमारे देश के कोचिज को ट्रेनिंग दिलवाई जाए। इससे परिणाम भी अच्छे प्राप्त होंगे और पैसा भी कम खर्च होगा।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के भाग लेने के लिए जो वित्तीय सहायता दी जाती हैं वह बहुत कम है। खेल पर शोध करने के लिए जो स्कालरशिप दी जाती है, वह किसको दी जाती है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि स्कूलों में खेलों तथा ग्रामीण खेलों का विकास करने के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। गांवो से हम प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की खोज करते हैं, किन्तु गांवों में बुनियादी ढांचा तक तैयार नहीं हुआ है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में अच्छे स्टेडियम तक नहीं है। केरल तथा देश के अन्य

भागों जैसे बैंगलूर और पटियाला को देखने से हम नहीं कह सकते हैं कि हमारा बुनियादी ढांचा तैयार हो गया है। यदि हम प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की खोज करना चाहते हैं तो हमें कम–से–कम अच्छे मैदान, साफ पीने का पानी और अच्छे शौचालयों की सुविधा को उपलब्ध करवाना होगा। इन बुनियादी चीजों की हमारे देश में बहुत कमी है।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार केवल कोचिज को दिया जाता है, खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता है। इन पुरस्कारों में भी पारदर्शिता नहीं है। सन् 1980 के एशियन गेम्स में मुझे दो गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल मिला था। मेरी साथी खिलाड़ी, जिसको मेडल मिला था, उसको वर्ष 1990 और वर्ष 2000 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था, किन्तु मुझे नहीं दिया गया। कुछ समय बाद मुझे भी पुरस्कार दिया गया था। इसलिए मेरी मांग है कि इन पुरस्कारों के वितरण में पारदर्शिता होनी चाहिए।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि मंत्रालय उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पेंशन भी उपलब्ध कराता है। मैं पेंशन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। कागजों में तो खिलाड़ियों को बहुत कुछ दिया जाता हैं, किन्तु वास्तव में उन्हें उतना फायदा प्राप्त नहीं होता है। जो खिलाड़ी ओलम्पिक और एशियन खेलों में मेडल ले कर आता है, उनको लाइफ टाइम पेंशन दी जाती

है। मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होने पेंशन को 2000 रुपये से बढ़ा कर 3500 रुपये कर दिया है, किंतु इसमें भी खिलाड़ी का गुजारा सही तरह से नहीं हो पाता है। जिस खिलाड़ी को मेडल मिलता है, उसकी आयु तीन वर्ष होने के बाद उसे पेंशन दी जाती है। मुझे वर्ष 1980 में गोल्ड मेडल मिला था। जब मेरी आयु तीस वर्ष हुई तो मैंने पेंशन के लिए एक पत्र लिखा था। किंतु वर्ष 2004 तक मुझे इस संबंध में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ और न ही मुझे पेंशन मिलनी शुरु हुई है। जब मैं लोकसभा की सदस्य बनी, साथ ही साथ एचआरडी कमेटी की सदस्य बनी, इसके बाद मुझे पेंशन मिलनी शुरु हुई।...................................(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पेंशन लेने के लिए एमपी बनना होगा।

श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर (कृष्णानगर) : वर्तमान मैं उदयीमान खिलाड़ियों की खोज करने एवं उन्हें प्रशिक्षित करने के बारे में कहना चाहती हूं। मैं खेल मंत्री जी से रिक्वैस्ट करुंगी कि आप इस बारे में थोडा ध्यान दें। 1440 से 1500 के करीब सहायक कोचेज हैं जिनको 15000 रुपये से 20000 रुपये के करीब तनख्वाह मिलती हैं। आप देखें कि एक कोच के पास कितने खिलाड़ी हैं और वह हर साल क्या प्रदर्शन कर रहा है, इसका भी लेखा–जोखा होना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि 15–20 साल से एक कोच के पास शायद दस खिलाड़ी हैं, जिनमें एक भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन नहीं है।

आपने सैन्य बाल खेल कम्पनी के बारे में बताया। पूना में ऐसी एक

कम्पनी हैं। मैं खेल जगत से आई हूं। मैम्बर बनने के बाद मुझे बहुत जगहों से फोन आते हैं मुझे वहां से भी एक फोन आया कि उसके लिए शायद 80 करोड रुपये की राशि मंजूर की गयी है। वह सही तरह से खर्च नहीं हो सकी है और स्पोर्ट्समैन तक पैसा नहीं पहुंचा रहा है। इस बारे में भी ध्यान देना चाहिए।

एथेन्स ओलपिम्क– कामनवैल्थ गेन्स आ रहे हैं, एशियन गेम्स आ रहे हैं। उनके लिए जो धनराशि दी गई है, वह बहुत कम है। ओलम्पिक खेलों में गोल्ड मेडल लेने के बारे में देखें तो हमारा देश आजाद होने के बाद चीन आजाद हुआ। लेकिन एवार्ड लेने के मामले में वह सबको टक्कर दे रहा है और हम एक श्री राठौर को ही लेकर बैठे हैं खेलों के लिए धनराशि बढ़ानी चाहिए।

......................(व्यवधान)

MR. SPEAKER : At lesat, se are discussing a very important subject after a very very long time.

SHRI HANNAN MOLLAH (ULUBERIA) : That too for the first time

__अध्यक्ष महोदय : इस बारे में कोई प्रश्न ही नहीं उठाया__

......................(व्यवधान)

MR. SPEAKER : I have picked up an important

subject.

श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर (कृष्णानगर) : क्रिकेट को काफी महत्व दिया जाता है। लेकिन गांवो में ग्रामीण खेलों जैसे एथलेटिक्स, हॉकी, कबड्डी और फुटबाल आदि पर थोड़ा ध्यान देने से हम आगे बढ़ सकते हैं....................(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर (कृष्णनगर) : भारत के खिलाड़ियों के पास नौकरी नहीं है। साल में सिर्फ पांच प्रतिशत खिलाड़ियों को ही नौकरी मिलती है। कुछ दिन पहले केरल में रोइंग के एक स्पोर्ट्समैन ने आत्महत्या कर ली। अगर खिलाड़ियों को पेंशन दी जाए तो वे आत्महत्या क्यों करेगे। खिलाड़ियों के लिए नौकरी भी निश्चित की जानी चाहिए। हर डिपार्टमैंट की नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए कुछ प्रतिशत होना चाहिए।............(व्यवधान)

इस विषय में और माननीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं इसलिए मैं आखिर में यही कहना चाहूंगी कि मंत्री जी खेलों के बारे में थोडा ध्यान दें। भारत के पास बहुत टेलैंट हैं आप पैसा दे देते हैं लेकिन वह सही तरह से खर्च नहीं हो पाता।

आप फैडरेशन को पैसा दे देते है, लेकिन वह पैसा कैसे खर्च करता है, इसका लेखा–जोखा भी लेना चाहिए। फैडरेशन दो टर्म्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक–एक फैडरेशन बीस–बीस साल तक होता है। कबड्डी में दो–दो फैडरेशन बना रखे है। फैडरेशन पर भी कंट्रोल होना चाहिए।

Mr. SPEAKER : Thank you very much.

Hon. Members, I have to folllow some rules.

........(Interuptions)

MR. SPEAKER : You sit down please.

Only tow hon. Members gave their notices. Sometimes, the chair allows up to four Members. But you cannt just stand up and raise your hands- I will not allow this, Some system has to be Followed.

Shri Shailendra Kumar, only two more Members will be allowed.

श्री शैलेन्द्र कुमार, आप भाषण मत दीजिए, सिर्फ प्रश्न पूछिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : अध्यक्ष महोदय मंत्री जी के वक्तव्य के बाद श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर ने खेल संवर्धन और परिसरों के विकास के बारे में जो तमाम बातें बताई, वह बहुत ही सोचनीय और निन्दनीय विषय है। खेलों को बढ़ावा देने में बहुत सी खामियां है। जैसे अभी श्रीमती सिकदर ने कहा, हम ओलम्पिक गेम्स में कवेल श्री राठौर के पदक लाने से ही बहुत खुश हैं।

जबकि आप क्रिकेट हॉकी या ऐथलेटिक्स में देखिये, उसमें हमें शून्य पदक मिल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि खेल का सवाल जीवन से जुड़ा है। इससे आदमी का लाइफ स्टाइल पूरा बदल जाता है। मैं चाहूंगा कि खेल को स्कूलों के पाठयक्रम में लाया जाये। दूसरा,

Hon. Members, I have to folllow some rules.

........(Interuptions)

MR. SPEAKER : You sit down please.

Only tow hon. Members gave their notices. Sometimes, the chair allows up to four Members. But you cannt just stand up and raise your hands- I will not allow this, Some system has to be Followed.

Shri Shailendra Kumar, only two more Members will be allowed.

श्री शैलेन्द्र कुमार, आप भाषण मत दीजिए, सिर्फ प्रश्न पूछिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : अध्यक्ष महोदय मंत्री जी के वक्तव्य के बाद श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर ने खेल संवर्धन और परिसरों के विकास के बारे में जो तमाम बातें बताई, वह बहुत ही सोचनीय और निन्दनीय विषय है। खेलों को बढ़ावा देने में बहुत सी खामियां है। जैसे अभी श्रीमती सिकदर ने कहा, हम ओलम्पिक गेम्स में कवेल श्री राठौर के पदक लाने से ही बहुत खुश हैं।

जबकि आप क्रिकेट हॉकी या ऐथलेटिक्स में देखिये, उसमें हमें शून्य पदक मिल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि खेल का सवाल जीवन से जुड़ा है। इससे आदमी का लाइफ स्टाइल पूरा बदल जाता है। मैं चाहूंगा कि खेल को स्कूलों के पाठयक्रम में लाया जाये। दूसरा,

खेल को शिक्षा और रोजगार से जोड़िये। जब आप खेल को रोजगार से जोड़ेंग तक जाकर हमारे यहां के प्रतिभावना खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा।.

..........................(व्यवधान)

<u>अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये।</u>

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : दूसरा, आपने अभी ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में तमाम बातें कही हैं। युवक मंगल दल का भी आपने गठन किया है। लेकिन आज ब्लाक स्तर पर जो खेल होते हैं उनमें खिलाड़ियों को मानदेय बहुत कम मिलता है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि गांवो में बड़े प्रतिभावान, प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, उनके लिए ब्लाक स्तर पर एक मिनी स्टेडियम बनाया जाये। अगर जिले में न बने तो ब्लाक स्तर पर एक मिनी स्टेडियम बने ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं वे आगे निकल सकें।

MR. SPEAKER : It is sugestion for action.

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : वे खिलाड़ी जिले स्तर व यू0पी0 स्तर पर खेल सकें। युवक मंगल दल को मजबूत बनाया जाये और मानदेय अनुदान ज्यादा दिया जाये जिससे वे खिलाड़ी प्रोत्साहन पा सकें।...............(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये केवल सुझाव देने की बात नहीं है।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : इसके साथ–साथ खेलों में जो सट्टेबाजी होती है, उस पर कडाई से रोक लगनी चाहिए।..........................(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खेलों में सट्टेबाजी नहीं होती।

Shri Nikhil Kumar, Plaase put only question. This opportunity

is for putting questions for clarifications only.

..........(Interruptions)

MR. SPEAKER : No Nothing more of your speech will be allowed. shri. Nikhil Kumar.

SHRI NIKHIL KUMAR (AURANGABAD, BIHAR) : Thank you, Sir.

The hon. Minister has give a very detailed account of the steps that are being taken by the Govermment to promote sports in the country. Shrimati jyotirmoyee sikdar, in her impassionde speech, has made some very relevent points. What I am going to request the hon. Minister ot kindly clarify is regardign our very poor performance in the international athletics met and other sports meets. We used to be very good is some fo the sports disciplines.

MR. SPEAKER : Yes, it has come down very fast. It is a matter of great concem and I am unhappy about that.

SHRI NIKHIL KUMAR (AURANGABAD, BIHAR) : I am tempted to mention the instance of china, which was not a very good performer in the international level of sports and athletics. It decided then not to participate in any international meets until it had assured itelf that it had come up ot the international standrads.

I have nothing against participating in international meets. but there must be some kind of detemination is our Govermment and amongst us, the sports persons that they must achieve international levels in theri performances. Is the Minisrty- hon. Minster may kindly clarify this- thinking in terms of doing something in a determind way in the next 5-10-15 years and set some kind of a goal that during those years, we shall achieve these standards and only then, we shall participate in international meets and sports events. Thank you.

मोहम्द सलीम (कलकत्ता–उत्तर पूर्व) : मैं मंत्री महोदय से पहला यह सवाल पूछना चाहता हूं कि करीब एक दशक पहले पार्लियामैंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमैंट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के खेल के मैदान में जो परफोरमैंस हैं, उसे सुधारने के लिए एक रिपोर्ट दाखिल की थी। मैं सक्सेसिव मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि किसी मंत्री ने यह जवाब दिया कि वह रिपोर्ट उन्होंने देखी है या उनके मंत्रालय ने उस पर गौर किया है। एक दशक में और भी बहुत कुछ होना चाहिए। क्या ऐसा कोई प्रावधान है। अभी आपने बाध्य किया कि स्टैंडिग कमेटी की रिपोर्ट देखकर एक्शन टेकन रिपोर्ट दे। उस कमेटी के श्री पी उपेन्द्र चेयरमैन थे। मैं भी उस कमेटी का एक सदस्य था। हम लोगों ने पूरे देश में धूमकर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे उस रिपोर्ट को ढूंढकर उसके

सुझावों को इम्प्लीमैंट करने की कोशिश करेंगे।

दूसरा प्रश्न यह है कि कालिंग अटैंशन के मोशन में इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात की गयी थी। मैं फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर का बहुत कायल नहीं हूं कि और भी ज्यादा कंक्रीट स्ट्रक्चर्स पर बना दिये जायें क्योंकि जितनी फैसिलिटीज क्रिएट की गयी है, मैं नहीं समझता कि हमारे देश में उसका ऑप्टिमल यूटीलाइजेशन होता है। एक स्टेडियम करोड़ों रुपये खर्च करके बनाया गया है लेकिन देखा जाये तो खेल के लिए उसकी ऑकूपैंसी साल में 2,10,15 या 40 दिन से ज्यादा नहीं हैं। चूंकि आजकल ऐसा होता हैं, ऐसा कुछ प्राइवेट अरेंजमैंट हैं कि आप फीस दो और मेम्बरशिप लो, इस तरह से उस स्टेडियम का पूरा इस्तेमाल नहीं होता है। जबकि चाइना, ब्राजील या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जाकर देखें तो राउंड दी क्लॉक अलग–अलग बैचेज आ रहे हैं।

वे एक ही फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ट्रेनीज और दूसरे लोग भी उनका उपयोग करते हैं, लेकिंन हमारे देश में मैं समझता हूं कि सरकार इसके लिए कोई ऐसा कानून लाए कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हैं, चाहे वह फेडरेशन्स के पास हो, स्टेट गवर्नमेंट के पास हो या फिर प्राइवेट बॉडीज के पास हो, उनका ऑप्टिमल युटिलाइजेशन किया जाए।

MR. SPEAKER : It cannot be an indefintie nmuber.

SHRI VARKAL RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL) : Sir, I belong to the state ot which P.T. Usha..........(Interruptions)

MR. SPEAKER : I am sorry. Please sit down. I have already allowed four hon. Members in total.

SHRI VARKAL RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL) : What for have I given notice then.

MR. SPEAKER : You might have given notice but mere giving notice does not entitle you to speak. It will not be recorded. Only hon. Minister's speech will go on record.

(Interruptions).....(Not recorded)

SHRI VARKAL RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL) : We have th largest Arjuna Award winners in the state.........(Interruptions).

MR. SPEAKER : Places take your seat.

SHRI VARKAL RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL) : Sir, I have given notice......(Interruptions)

MR. SPEAKER : I am not obliged to A number of hon members hav given notices Shri Radhakrishnan, you cannot claim as a matter of right. You did not think it necessary of file a call attention notice.

......(Interruptions)

MR. SPEAKER : I have received nine notices. Will I call everbody. I

have called four Members in total. Please do nto disturb.

SHRI SUNIL DUTT : With your permission, I would like to reply to the hon. Member from Kerala. He has talked about P.T. Usha. I remember, Whan she started har own Academy over there, I was the first man who gave Rs. 50,000 out of my own pocket to her. This was the beginning. This is the respect that we have for these people. I was not the Minister at that time. At that time I was just an ordinary Member of Parliament. I felt that she has done a great service to the nation. Today, The Government of Kerala has given about 25 acrs of land and she is doing very well. We will do our best to help her because she has brought name and honour to the nation.

MR. SPEAKER : We all join in apperciating her great service.

SHRI SUNIL DUTT : Shrimati Jyotirmyee Sikdar, the award and medal winner, is a grat lady. इन्होनें बहुत सी चीजें पूछ ली हैं और मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य मेरे दफ्तर में आएं, वहां बैठकर मैं इनके साथ एक–एक प्वाइंट पर डिस्कस करुंगा। अगर आप कहें कि मैं इतने सारे प्रश्नों को इसी समय उत्तर दे दूं तो यह शायद मेरे लिए थोडा मुश्किल होगा। मैं इनको आमंत्रित करता हूं और मैं इनको लंच भी खिलाऊंगा।

MR. SPEAKER : A number of issues are involved so, it

will take from lunch to dinner.

श्री सुनील दत्त : सबसे ज्यादा सवाल इन्होंने पूछे हैं।

श्री सुनील दत्त : खेल के मैदान में इन्होने मेडल जीते हैं अगर आप लोग भी लाएंगे तो मैं आपको भी बुलाऊंगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि मैं माननीय सदस्य की इन बात से सहमत हूं कि स्कूल पाठ्यक्रम में स्पोर्टस को एक विषय के रुप में शामिल किया जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि खेल एक ऐसा मैदान है जो एक अच्छा इन्सान बनाता है। It is the process of churning a good human being, a good citizen क्योंकि खेल के मैदान में जो फैसले होते हैं, वे किसी तलवार या बन्दूक से नहीं होते हैं, बल्कि खिलाड़ी के हुनर और ताकत से होते हैं। खेल में जो हारता है वह भी हाथ मिलाता है और जीतता है वह भी हाथ मिलाता है। इससे दोस्ती और भाईचारा बढ़ता है। जैसे अभी हाल में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हुआ। पाकिस्तान से जितने भी लोग यहां आए, उन्हें यहां जो उत्साह प्यार और मोहब्बत मिली, उसके लिए सभी ने हमारी तारीफ की। महोदय, मेरे लिए एक प्रॉब्लम है It is not a concurrent subjcet मैं दोनों के बीच फंसा हुआ हूं। एक तरफ तो फैडरेशन्स हैं, और दूसरी तरफ से स्टेट्स हैं। मैं मानता हूं कि हमारे देश में अगर किसी को सबसे ज्यादा फैशिलिटीज मिलनी चाहिए तो वह हैं हमारे स्पोर्ट्समैन।

माननीय सदस्या ने जों बातें कही हैं मैं इनसे एग्री करता हूं हमारे पास

जो भी रिकमंडेशंस आती हैं वे फैडरेशन की तरफ से आती है। फैडरेशन एक आटोनॉमस बॉडी है। वही निर्णय लेती हैं। उसमें एक आब्जर्वर होता है। फैडरेशन यह काम देखती है कि किसका चयन करना है और किसे बाहर भेजना है। इस बारे में वह हमें लिखती हैं मैं समझता हूं मेरा मंत्रालय इस माहौल में एक मनी लैंडर की तरह है। जैसे पैसा देना उसका काम होता है, ठीक वही काम हमारा है। लेकिन मनी लैंडर सूद भी लेता हैं, हम वह भी नहीं ले सकते। इसलिए स्पोट्‌र्स को कंकरेन्ट सब्जेक्ट संवर्ती सूची बनाना बहुत जरुरी है, फिर हम पालिसी बना सकते है। We can give priority to the sports persons. फिर मैं डिटेल में देख सकता हूं। अभी फैडरेशन ही यह सारा काम करती है कि किस खिलाड़ी का चयन करना है और किसे बाहर भेजना है। हम सिर्फ पैसा देते है। स्पोट्‌र्स अथोरिटी आफ इडिया यानि 'साई' ऐसा विभाग हैं, जिसके सेंटर्स विभिन्न जगहों पर है। वहां जो भी बैस्ट फैसिलिटीज हो सकती है, हम देते हैं। आखिर में, "I would like to convery that the Ministry of Sports and Youth Affairs in not a Minisrty to Which people give much importance. I am very happy that you have asked for this calling Attention Motion because according to me we must give more importance to sports and youth affaris. It is because if we churn out good youths, there could be better futere for our conutry. Therefore, I feel more emphasis should be given to sports and youth affaris"

MR. SPEAKER : Why should there not be a National Youth commis-

sion in this country.

SHRI SUNIL DUTT : Yes, Sir. I generally feel that we should have a programme for youth. I will come and sit with you ond day. If this programme is implemented properly. it would be helpful. But you cannot implement that with Rs. 400 crore an year which this minisrty gest. Therefore, I would request that some more money should be given to this ministry. If it is done, I can assure you that all the pensions will be incerased and whatever problems which my sister has pointed out, can be solved. एक माननीय सदस्य से सवाल किया था। उसमें भी यह सवाल पैदा होता है, We have meetings with the Federations and discuss with them whatever demands they have. We try of fulfil them. The sports people come to us through the Federations. The ferderations are between My Ministry and the sports people. Whaterver is essential about the sports persons and whaterver money has to be given th them, such demands come through the sports federations. We have some awards like Dronacharya Award, Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, Dhyanchand Award, etc. We have committees which are chaired by top sports persons and top sports persons their members. They decide who should get these awards. These are all independent bodies which take a decision.

Now if any body wants to ask any other question, I am ready

to reply.

MR. SPEAKER : We should have a fuller discussion one day.

SHRI SUNIL DUTT : Sir, that will be much better.

MR. SPEAKER : We can discus it under Rule 193. I believe, We made a good beginnig.[23]

---

23. Calling Attention के तहत उठाये गये मामले द्वारा श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर कृष्णा नगर) 02.05.05 पृष्ठ क्रमांक 14703 से 14713

खेलकूद के क्षेत्र में भी मनीपुर अत्याधिक अच्छा कर रहा है। मनीपुर 5 वें राष्ट्रीय खेलकूद में (Champion) सर्वश्रेष्ठ रहा है। मनीपुर जैसे छोटे राज्य को उ0प्र0, बिहार, कर्नाटक जैसे राज्यों का सामना करना पड़ा। आने वाले 6 वें राष्ट्रीय खेलकूद में भी आशा की जाती है कि मनीपुर अच्छा स्थान प्राप्त करने में सफल होगा।

गृह मंत्रालय ने मनीपुर के N.G.O.S. को दी जाने वाली (Funds) निधि पर रोक लगा दी है इसके अतिरिक्त 1 करोड 20 लाख जो खेलकूद मंत्री जी ने दो indoor stadiuom के लिये स्वीकृत किये थे वे भी राज्य सरकार द्वारा (divert) अन्यत्र लगा दिये गये है। 40 लाख और 20 लाख की पहली किस्त किसी तरह प्राप्त की जा सकी है। यह बहुत ही लज्जा जनक है। इस संदर्भ में Sports मंत्री जी ने बहुत बार संबंधित अधिकारियों व दिल्ली के लिये पत्र भी लिखें।

मनीपुर के खिलाड़ियों को उचित प्रोत्साह दिया जाना चाहिये क्योंकि वे इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। खेलकूद के स्वीकृत निधि पूर्णतया उचित रुप से प्रयोग होना चाहिये उन्हे अन्यत्र नहीं लगाना चाहिये। कला व साहित्य में भी रोक के कारण निधि नहीं दी जा रही है। 1 लाख या 2 लाख रु0 N.G.O.S. को उनके कला व साहित्य में योगदान के लिये दिया गया था जो अब रोक दिया गया है। पिछले 6 महीने में उन्हें पैसा भी नहीं दिया गया।

कई सुझाव व योजनायें राज्य सरकार के पास ढेर लगाती रहती है लेकिन किसी भी कार्य की परिणिति नहीं होती।[24]

सरकार मैच फिक्सिंग से संबंधित उद्घाटित सत्यों विशेष रुप से हाल ही में हुई भारत व दक्षिणी अफ्रीका की श्रृखंला के संदर्भ से चौकन्ना हो गई है। दिल्ली पुलिस ने प्राप्त सूचना के आधार पर एफ0आई0आर0 नं0 111/2000 हैन्सी क्रोन्जे व अन्य के विरुद्ध दर्ज करायी है। इन विकासों को ध्यान में रखते हुये खेलकूद विभाग ने सभी संबंधित खिलड़ियों व अधिकारियों को इस मामले के विभिन्न तथ्यों को ठीक से समझने के लिये बुलाया है। यह मामला जांच पर है इसकी स्पष्ट छवि केवल जांच पूरी होने पर ही पता चल सकेगी। हालांकि विभाग लगातार इसके विकासों पर नजर रख रहा है। किन्तु इस जांच से संबंधित अधिकारियों व कार्यालयों के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होगी। बी0सी0सी0आई0 ने विश्वास दिलाया है कि वे अपराधियों को खोजने में पूर्ण सहयोग करेंगे। वे चंद्रचूर्ण रिपोर्ट को भी सर्वविदित करने को तैयार है।

दिल्ली पुलिस के पास लिखाई गई एफ0आई0आर0 रिपोर्ट के अतिरिक्त सरकार के पास किसी अन्य क्रिकेट के खिलाड़ी या बी0सी0सी0आई0 के अधिकारी के विरुद्ध शिकायत नहीं है। मीडिया द्वारा सामान्य आरोपों का ही प्रसार हो रहा है। फिर भी सरकार मैच फिक्सिंग के विरुद्ध शिकायतों पर आवश्यक जांच के बाद उनके आधार पर आवश्यक कानूनी कदम उठाने को

---

24. श्री ठा0 चौबा सिंह इनर मनीपुर By President in Relation to the state of Manipur. 20 नवम्बर 2001 पेज सं0 468.

तैयार है। वे लोग जिन्हें इस दुराचार/अनाचार के संबंध में कोई जानकारी हो, आगे आये उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जायेगी।[25]

मीडिया प्रसारण में पिछले कुछ सप्ताह से मैच फिक्सिंग प्रमुख स्थान पर रहा है। इस पर दोनो सदनों में बहस भी हुई है। मैने भी इस संदर्भ में दोनों सदनों में अपने वक्तव्य दिये हैं अपने वक्तव्य में मैने बताया है कि सरकार मैच फिक्सिंग के मामले में किसी भी तरह की जांच को शुरु करने में नहीं हिचकेगी। प्रसिद्ध पत्रिकाओं व समाचार पत्रों व प्रख्यात प्रशासको/खिलाड़ियों के वक्तव्यों के आधार पर भी अभी और जांच की आवश्यकता है।

सरकार का विश्वास है कि जो अपराधी है, उन्हें सजा मिलनी चाहिये व जो निर्दोष हैं, उन्हें बदनामी नहीं मिलनी चाहिये जिनके पास साक्ष्य हैं उन्हें सहयोग करना चाहिये व उन लोगों को पर्याप्त सुरक्षा मिलनी चाहिये।

दोनों सदनों के सम्माननीय सदस्यों के विचार सुनने के बाद, इस मामले की जटिलता को ध्यान में रखते हुये सरकार ने इस मामले को सी0बी0आई0 को सौपने का फैसला किया है। आशा की जाती है कि जांच अफवाहों व संदेहों को स्पष्ट करने में सफल होगी। मुकदमा, जो एफ0आई0आर0 111/2000 पर Hansi cronge व अन्य के विरुद्ध दर्ज हुआ है, दिल्ली पुलिस के द्वारा तर्कपूर्ण निष्कर्षो तक पहुंचाया जायेगा।[26]

---

25. श्री सुखदेव सिंह ढीढंसा (Youth Afairs & Sports minister) April 2000, पेज नं0 267
26. Statement by Minister श्री सुखदेव सिंह ढीढंसा यूवा एवं खेलकूद मंत्री April 28/2000, पेज नं0 387

मैने तमिलनाडु में चिदाबरम में यूथ होस्टल व स्पोटर्स स्टेडियम के लिये स्वीकृति हेतु तत्कालीन मंत्री को 13 सितम्बर 2001 को लिखा मंत्री जी ने अपने डी0आ0 नं0 3–6/2000– वाई0एच0/वाई0एस0 द्वितीय दिनांक 27 नवम्बर 2001 से सूचना दी कि वे प्रार्थना पर विचार करके मेरे क्षेत्र चिदाबरम (तमिलनाडु) में 1.5–2.00 एकड़ अनुकूल विकसित भूमि पर होस्टल बिल्डिंग बनवाने के लिये सहमत हैं।

मुझे बहुत से स्मरण पत्र देने के बावजूद भी एक लम्बे समय प्रतीक्षा करनी पड़ी। मैने माननीय वर्तमान मंत्री महोदय को 14 जुलाई 200 को तत्कालीन मंत्री महोदया के साथ रहे सारे पत्राचार जो यूथ होस्टल व स्पोटर्स स्टेडियम मेगलोर (जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है) चिदांबरम तमिलनाडु के संदर्भ में लिखा। लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने मुझे अपने पत्र संख्या 3–2/2002 वाई0एच0/वाई0एस0 द्वितीय दिनांक 7 सितम्बर 2004 से सूचना दी कि भूमि अविकसित है एवं पत्र संख्या 13–1/2004 दिनांक 30 सितम्बर 2004 में उन्होने लिखा कि यह मंगलौर (कर्नाटक) में 90 लाख रु0 में पूर्ण हो चुका है।

मैने यही विषय लोक सभा में 3.12.04 रुल 277 के तहत पुनः उठाया उत्तर की अब तक प्रतीक्षा है, अतः मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वे मुझे यूथ होस्टल व स्पोटर्स स्टेडियम मैंगलोर (चिदाबरम, तमिलनाडु) जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है, के निर्माण के संबंध में किये गये प्रयासों की जानकारी दें, न कि कर्नाटक के जो कि भिन्न है।[27]

---

27. नियम 377 के तहत प्रश्न पूछा गया द्वारा श्री ई0 पून्नू स्वामी (चिदंम्बरम) 24.03.05 पेज नं0 9323

अन्तिम क्षेत्र जिस पर मैं ध्यान केन्द्रित करने की कोशिश करुंगा वह खेलकूद है। हमारी 50 प्रतिशत जनसंख्या युवावर्ग की है जब भी ओलम्पिक खेलकूद या एशियन, खेलकूद या कामन वेल्थ खेलकूद होते है हम परिणाम से निराश होते हैं, और अपने प्रशिक्षकों पर आरोप लगाते है जबकि आरोप भारत सरकार पर लगाना चाहिये जो इस स्थिति की जिम्मेदार है। मैं स्वयं बजट निर्माण में था, जिसमे पिछले वर्ष रु0 385 करोड व इस वर्ष 500 करोड खेलकूद के लिये नामांकित किये गये। क्या आप सोचते हैं कि आप रु0 500 करोड से विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा में सफल हो सकते है। यदि हम प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, और अगर सरकार सोचती है कि उसके पास पर्याप्त निधि नहीं है तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करुंगा कि वे निजी क्षेत्रों को आगे आने को प्रोत्साहित करें हमे निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना चाहिये। कि वे खेलकूद आधारभूत ढांचे पर अधिक निवेश करने में रुचि लें। उन्हें आर0 एण्ड पी0 की तरह खेलकूद आधारभूत ढांचे पर व्यय करने पर 150 प्रतिशत infrasturction grant मिलना चाहिये सरकार को खेलकूद के लिये रु0 1000 करोड नामांकित करने चाहिये।

अन्त में अपनी पार्टी की तरफ से मैं बजट के पक्ष में नहीं हू क्योंकि बजट कृषको, पंजाब, उद्योग व युवावर्ग एवं सामान्य व्यक्ति के विरुद्ध है। मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री जी मेरे विचारों पर ध्यान देंगे।[28]

---

28. आम बजट 2005–06 द्वारा श्री सुखबीर सिंह बादल (NDA) 17.03.05 पेज नं0 6122

इस बिल को समर्थन देते समय मैं अपने भय को अभिव्यक्त करना चाहूंगा। आठवी लोक सभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने अपने देश व आने वाली पीढ़ी पर समग्र रुप से ध्यान देते हुये अनुभव किया कि इस पर विधान की आवश्यकता है। बिल पर बहस होते समय श्री अभिताम बच्चन ने भी विशिष्ट उदाहरणों के साथ बोला किस तरह समाज एक दुःखद स्थिति जो कि Narcotic drugs व Psychotropuc subs के कारण होगी, का सामाना करने वाला है।

श्रीमान् जी सम्पूर्ण राजनीति और दक्षिणी अमेरिका का अर्थशास्त्र इस Narcoti drug के दुव्यर्सन के कारण खतरे में है। इटली के विश्वकप में जब कोलम्बिया की टीम सहभागिता के लिये गई तब यह बात विदित थी कि कोलाम्बियन गोल स्कोर करने या न करने के लिये ड्रग लौबी के भय व दबाब में है।

मैने स्वयं देखा कोलाम्बियन टीम के defender ने एक गोल बनाया उसका नाम Escobar था। ड्रग लौबी ने बहुत सा धन इस बात पर गंवा दिया जब वह defender रेस्टोरेन्ट में कॉफी पी रहा था लौबी माफिया ने प्रवेश किया व उसे गोली मार दी। ये हो रहा है दक्षिणी अमेरिका में और अब सम्पूर्ण लौटिन अमेरिका व एशिया इसी भय से ग्रस्त है। भारत, जहां ऐसा डेढ़ दशक पहले ऐसा कुछ नहीं था, भी अब इस भय से ग्रस्त है। मुझे मनीपुर जो हमारे प्रतिष्ठित मंत्री श्री Choba Singh के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा है के बारे में सदन को बताते हुये दुःख अनुभव हो रहा है। देश में मनीपुर

मेधावी खिलाड़ियों को जन्म दिया हैं इस राज्य में भी यह दुव्यर्सन पिछले 10 वर्षो में 15 प्रतिशत से 58 प्रतिशत हो गया है। ड्रग्स का गैर कानूनी प्रयोग 15 प्रतिशत 58 प्रतिशत हो गया है यह एक मजाक नहीं है। Recovery Centres में प्रवेश संख्या 20–25 (पुरुष व महिला) खिलाड़ी 15 वर्ष पहले भी जो कि अब 150 से भी अधिक है।[29]

श्री अली मो0 नायक श्रीमान् मैं मानव संसाधन विकास की Standing commitee 142, 143, 144, 145, 146, 147 (हिन्दी व अंग्रेजी Action की आख्या जो कि Demands for the Grants of the committee (2003–04) के 136, 137, 138, 139, 140, 141 पर परिवार कल्याण विभाग, औषधि व होमियोपैथी के भारतीय रीति, प्रारभिंक माध्यमिक व उच्च्व शिक्षा, स्त्री व बाल्य विकास खेलकूद व युवा वर्ग मंत्रालय की सिफारिशों अवलोकनो पर दी गई उसमें से प्रत्येक प्रति आपके सामने रखना चाहूंगा।[30]

---

29. एक सौ चौदह सेकन्ड से एक सौ चौदह सातवी रिपोर्ट द्वारा श्री अली मोहम्मद नायिक (अनंतनाग) 12.12.03 पेज नं0 298
30. वाद विवाद–7 मार्च 2001 द्वारा श्री प्रियरंजन दास मुंशी (रायगंज) पेज नं0 375

तृतीय अध्याय

तृतीय अध्याय

प्रक्रिया

इस अध्याय में इस शोध में सम्बन्धित शोध विषय के ऊपर विभिन्न व्यक्तियों से पूछे जाने वाले प्रश्नवालियों, उप प्रश्नावलियों, एवं जानकारियों को प्राप्त करने की विधियां, प्रमुख विषय, आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का सांख्यिकीय तथा प्राप्त आकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

प्रयोग वस्तु

प्रस्तुत शोध में भारत में खेल प्रबंधन में कार्यरत कर्मिकों विशेषकर केन्द्र सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय में सचिव, संयुक्त निदेशक, उप सचिव, सह सचिव तथा लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (सम विश्वविद्यालय) ग्वालियर में पदस्थ उच्च स्तरीय प्रशासकीय अधिकारियों के व्यावसायिक शैक्षणिक योग्यता के विषय में जानकारी हासिल किया गया। तत्पश्चात् शोधार्थी ने विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से प्रश्नावली एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि से उपरोक्त उच्च पद पर पदस्थ अधिकारियों के लिये भारत में खेलकूद के उत्थान हेतु आवश्यक किये जाने वाले शैक्षणिक योग्यता के विषय में जानकारी एकत्रित किया।

शोधार्थी ने लगभग एक हजार व्यक्तियों से जोकि भिन्न–भिन्न विशेषज्ञता रखते थे को प्रश्नावली तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु चुना।

	पुरुष	महिला
1.	खिलाड़ी–100	खिलाड़ी–100
2.	शारीरिक शिक्षा छात्र–100	शारीरिक शिक्षा छात्र–100
3.	पत्रकार–100	पत्रकार–100
4.	राजनीतिज्ञ–100	राजनीतिज्ञ–100
5.	साधारण व्यक्ति–100	साधारण व्यक्ति–100

परीक्षण की प्रक्रिया

इसके पूर्व शोधार्थी ने भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेलकूद मंत्रालय में सचिव, सह सचिव, उप सचिव, निदेशक पद पर कार्यरत व्यक्तियों से पत्र के द्वारा उनकी शैक्षणिक योग्यता के विषय में जानकारी प्रदान करने हेतु निवेदन किया। परन्तु किसी भी अधिकारी ने उक्त जानकारी स्मरण पत्र से निवेदन करने के पश्चात भी शोधार्थी को प्रदान नहीं कराई।

इसी प्रकार शोधार्थी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (सम विश्वविद्यालय) ग्वालियर में कुलपति, कुलसचिव, वित्त अधिकारी, उप निदेशक तथा सह निदेशकों के पद पर कार्यरत व्यक्तियों की शैक्षणिक योग्यता प्रदान करने हेतु निवेदन किया परन्तु स्मरण पत्र के द्वारा निवेदन करने के पश्चात भी किसी भी अधिकारी के शैक्षणिक योग्यता की जानकारी शोधार्थी को प्रदान नहीं कराया गया।

आंकड़े एकत्रित करने की प्रक्रिया

अंतिम रुप से तैयार प्रश्नावली को खिलाड़ी, शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्रों, खेलों से सम्बन्धी पत्रकार, राजनीतिकों (सांसद, विधायक एवं जनप्रतिनिधि) तथा जन साधारण को वितरित किया गया तथा उनसे व्यक्तिगत साक्षात्कार कर आंकड़ें इकट्ठे किये गये।

चर तथा ज्ञान निष्कर्ष मीमांसा

शोध हेंतु निम्न प्रमुख चर निर्धारित किये गये तथा आंकड़ों के आधार पर उनकी ज्ञान निष्कर्ष मीमांसा प्राप्त किया गया।

चर

1. खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के प्रबंधन में साधारण शिक्षा प्राप्त अथवा शारीरिक शिक्षा में स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को प्रबंधकीय पदों पर दायित्व सौंपा जावे।
2. खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा मंत्रालय तथा संस्थानों में प्रशासकीय पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की योग्यता क्या होना चाहिये।
3. खेल मंत्रालय, खेल निदेशालय तथा लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (सम विश्वविद्यालय) ग्वालियर में उच्च पदों पर प्रशासकीय कर्मिकों की नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिये।

4. भारत में खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा की गिरवाट हेतु क्या वर्तमान प्रबंधकीय व्यवस्था उचित है।

5. आपकी राय में आप भारत में भारत सरकार के खेलकूद मंत्रालय, निदेशालय में सचिव, उप सचिव, सह सचिव तथा निदेशक और लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (सम विश्वविद्यालय) ग्वालियर में कुलपति, कुलसचिव, वित्त अधिकारी उप निदेशक तथा सहायक निदेशक के पदों पर नियुक्ति हेतु क्या योग्यता होनी चाहिये।

6. क्या भारतीय विधि परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान एवं अध्ययन परिषद और भारतीय शिक्षक शिक्षण परिषद के अनुरुप आप अलग से भारतीय खेलकूद परिषद अथवा भारतीय शारीरिक शिक्षा परिषद की आवश्यकता महसूस करते हैं।

सांख्यकीय तकनीकी एवं विश्लेषण

उक्त आकंड़ों का सांख्यकीय विश्लेषण प्रतिशत की गणना के आधार पर प्राप्त किया गया।

चतुर्थ अध्याय

चतुर्थ अध्याय

आंकड़ों का विश्लेषण एवं शोध का परिणाम

तृतीय अध्याय के आधार पर प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका नं0–1

पुरुष खिलाड़ियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा प्रबंधन में साधारण शिक्षा अथवा शारीरिक शिक्षा में स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को प्रबंधनकीय पदों पर दायित्व सौंपे जाने के सम्बन्ध में

साधारण शिक्षा	शारीरिक शिक्षा	अन्य
16	76	8

तालिका नं0 1 के आधार पर यह निष्कर्ष पाया जाता है कि खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के दायित्व निर्धारण हेतु विभिन्न प्रबंधकीय पदों पर नियुक्त कर्मिकों के सम्बन्ध में पुरुष खिलाड़ियों ने 76 प्रतिशत यह जताया कि उक्त पद हेतु शारीरिक शिक्षा प्राप्त स्नातक अथवा स्नातकोत्तर प्राप्त व्यक्तियों को दायित्व सौंपा जाना चाहिये। 16 प्रतिशत पुरुष खिलाड़ियों ने साधारण शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में अपनी सहमति जताई जबकि मात्रा 8 प्रतिशत पुरुष खिलाड़ियों ने उक्त पदों के दायित्व अन्य को सौंपे जाने हेतु अपना समर्थन प्राप्त किया।

उक्त तालिका के आधार पर प्राप्त आंकड़ों के आधार पर चित्र क्रमांक 1 प्रदर्शित किया गया है।

चित्र क्रमांक–1

पुरुष खिलाड़ियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा प्रबंधन में साधारण शिक्षा अथवा शारीरिक शिक्षा में स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को प्रबंधकीय पदों पर दायित्व सौंपे जाने के सम्बन्ध में

तालिका नं0–2

महिला खिलाड़ियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा प्रबंधन में साधारण शिक्षा अथवा शारीरिक शिक्षा में स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को प्रबंधकीय पदों पर दायित्व सौंपे जाने के सम्बन्ध में

साधारण शिक्षा	शारीरिक शिक्षा	अन्य
14	79	7

तालिका नं0 2 के आधार पर शोधार्थी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के दायित्व निर्धारण हेतु विभिन्न प्रबंधकीय पदों पर नियुक्त कर्मिकों के सम्बन्ध में महिला खिलाड़ियों ने 79 प्रतिशत यह जताया कि उक्त पद हेतु शारीरिक शिक्षा प्राप्त स्नातक अथवा स्तनकोत्तर प्राप्त व्यक्तियों को दायित्व सौंपा जाना चाहिये। 14 प्रतिशत महिला खिलाड़ियों ने साधारण शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में अपनी सहमति जताई जबकि मात्रा 7 प्रतिशत महिला खिलाड़ियों ने उक्त पदों के दायित्व अन्य को सौंपे जाने हेतु अपना समर्थन प्राप्त किया।

उक्त तालिका में प्रस्तुत आंकड़े चित्र क्रमांक 2 प्रदर्शित किया गया है।

चित्र क्रमांक-2

[illegible] से प्राप्त आंकडों के आधार पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा प्रबंधन में साधारण शिक्षा अथवा शारीरिक शिक्षा में स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को प्रबंधकीय पदों पर दायित्व सौंपे जाने के सम्बन्ध में

तालिका नं0–3

शारीरिक शिक्षा प्राप्त (पुरुष) छात्रों के आंकड़ों के आधार पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा प्रबंधन में साधारण शिक्षा अथवा शारीरिक शिक्षा में स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को प्रबंधकीय पदों पर दायित्व सौंपे जाने के सम्बन्ध में

साधारण शिक्षा	शारीरिक शिक्षा	अन्य
3	93	4

तालिका नं0 3 के आधार पर शोधार्थी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के दायित्व निर्धारण हेतु विभिन्न प्रबंधकीय पदों पर नियुक्त कर्मिकों के सम्बन्ध में शारीरिक शिक्षा प्राप्त (पुरुष) छात्रों ने 93 प्रतिशत यह जताया कि उक्त पद हेतु शारीरिक शिक्षा प्राप्त स्नातक अथवा स्तनकोत्तर प्राप्त व्यक्तियों को दायित्व सौंपा जाना चाहिये। 3 प्रतिशत शारीरिक शिक्षा प्राप्त (पुरुष) छात्रों ने साधारण शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में अपनी सहमति जताई जबकि मात्रा 4 प्रतिशत शारीरिक शिक्षा प्राप्त (पुरुष) छात्रों ने उक्त पदों के दायित्व अन्य को सौंपे जाने हेतु अपना समर्थन प्राप्त किया।

उपरोक्त तालिका में प्रस्तुत आंकड़े चित्र क्रमांक 3 प्रदर्शित किया गया है।

चित्र क्रमांक–3

शीरिक शिक्षा प्राप्त (पुरुष) से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा प्रबंधन में साधारण शिक्षा अथवा शारीरिक शिक्षा में स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को प्रबंधकीय पदों पर दायित्व सौंपे जाने के सम्बन्ध में

तालिका नं0–4

शारीरिक शिक्षा प्राप्त छात्राओं के आंकड़ों के आधार पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा प्रबंधन में साधारण शिक्षा अथवा शारीरिक शिक्षा में स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को प्रबंधकीय पदों पर दायित्व सौंपे जाने के सम्बन्ध में

साधारण शिक्षा	शारीरिक शिक्षा	अन्य
3	92	5

तालिका नं0 4 के आधार पर शोधार्थी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के दायित्व निर्धारण हेतु विभिन्न प्रबंधकीय पदों पर नियुक्त कर्मिकों के सम्बन्ध में शारीरिक शिक्षा प्राप्त छात्राओं ने 92 प्रतिशत यह जताया कि उक्त पद हेतु शारीरिक शिक्षा प्राप्त स्नातक अथवा स्तनकोत्तर प्राप्त व्यक्तियों को दायित्व सौंपा जाना चाहिये। 3 प्रतिशत शारीरिक शिक्षा प्राप्त छात्राओं ने साधारण शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में अपनी सहमति जताई जबकि मात्रा 5 प्रतिशत शारीरिक शिक्षा प्राप्त छात्राओं ने उक्त पदों के दायित्व अन्य को सौंपे जाने हेतु अपना समर्थन किया।

उपरोक्त तालिका में प्रस्तुत आंकड़े चित्र क्रमांक 4 प्रदर्शित किया गया है।

चित्र क्रमांक– 4

शारीरिक शिक्षा प्राप्त छात्राओं के आंकड़ों के आधार पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा प्रबंधन में साधारण शिक्षा अथवा शारीरिक शिक्षा में स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को प्रबंधकीय पदों पर दायित्व सौंपे जाने के सम्बन्ध में

तालिका नं0–5

पुरुष पत्रकारों के आंकड़ों के आधार पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा प्रबंधन में साधारण शिक्षा अथवा शारीरिक शिक्षा में स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को प्रबंधकीय पदों पर दायित्व सौंपे जाने के सम्बन्ध में

साधारण शिक्षा	शारीरिक शिक्षा	अन्य
11	81	8

तालिका नं0 5 के आधार पर शोधार्थी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के दायित्व निर्धारण हेतु विभिन्न प्रबंधकीय पदों पर नियुक्त कर्मिकों के सम्बन्ध में पुरुष पत्रकारों ने 81 प्रतिशत यह जताया कि उक्त पद हेतु शारीरिक शिक्षा प्राप्त स्नातक अथवा स्तनकोत्तर प्राप्त व्यक्तियों को दायित्व सौंपा जाना चाहिये। 11 प्रतिशत पुरुष पत्रकारों ने साधारण शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में अपनी सहमति जताई जबकि मात्रा 8 प्रतिशत पुरुष पत्रकारों ने उक्त पदों के दायित्व अन्य को सौंपे जाने हेतु अपना समर्थन प्राप्त किया।

उपरोक्त तालिका में प्रस्तुत आंकड़े चित्र क्रमांक 5 प्रदर्शित किया गया है।

चित्र क्रमांक–5

पुरुष पत्रकारों के आंकड़ों के आधार पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा प्रबंधन में साधारण शिक्षा अथवा शारीरिक शिक्षा में स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को प्रबंधकीय पदों पर दायित्व सौंपे जाने के सम्बन्ध में

तालिका नं0–6

महिला पत्रकारों के आंकड़ों के आधार पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा प्रबंधन में साधारण शिक्षा अथवा शारीरिक शिक्षा में स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को प्रबंधकीय पदों पर दायित्व सौंपे जाने के सम्बन्ध में

साधारण शिक्षा	शारीरिक शिक्षा	अन्य
18	75	7

तालिका नं0 6 के आधार पर शोधार्थी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के दायित्व निर्धारण हेतु विभिन्न प्रबंधकीय पदों पर नियुक्त कर्मिकों के सम्बन्ध में महिला पत्रकारों ने 75 प्रतिशत यह जताया कि उक्त पद हेतु शारीरिक शिक्षा प्राप्त स्नातक अथवा स्तनकोत्तर प्राप्त व्यक्तियों को दायित्व सौंपा जाना चाहिये। 18 प्रतिशत महिला पत्रकारों ने साधारण शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में अपनी सहमति जताई जबकि मात्रा 7 प्रतिशत महिला पत्रकारों ने उक्त पदों के दायित्व अन्य को सौंपे जाने हेतु अपना समर्थन किया।

उपरोक्त तालिका में प्रस्तुत आंकड़े चित्र क्रमांक 6 प्रदर्शित किया गया है।

चित्र क्रमांक–6

महिला पत्रकारों के आंकड़ों के आधार पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा प्रबंधन में साधारण शिक्षा अथवा शारीरिक शिक्षा में स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को प्रबंधकीय पदों पर दायित्व सौंपे जाने के सम्बन्ध में

तालिका नं0–7

पुरुष राजनीतिज्ञों के आंकड़ों के आधार पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा प्रबंधन में साधारण शिक्षा अथवा शारीरिक शिक्षा में स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को प्रबंधकीय पदों पर दायित्व सौंपे जाने के सम्बन्ध में

साधारण शिक्षा	शारीरिक शिक्षा	अन्य
9	83	8

तालिका नं0 7 के आधार पर शोधार्थी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के दायित्व निर्धारण हेतु विभिन्न प्रबंधकीय पदों पर नियुक्त कर्मिकों के सम्बन्ध में पुरुष राजनीतिज्ञों ने 83 प्रतिशत यह जताया कि उक्त पद हेतु शारीरिक शिक्षा प्राप्त स्नातक अथवा स्तनकोत्तर प्राप्त व्यक्तियों को दायित्व सौंपा जाना चाहिये। 9 प्रतिशत पुरुष राजनीतिज्ञों ने साधारण शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में अपनी सहमति जताई जबकि मात्रा 8 प्रतिशत पुरुष राजनीतिज्ञों ने उक्त पदों के दायित्व अन्य को सौंपे जाने हेतु अपना समर्थन प्राप्त किया।

उपरोक्त तालिका में प्रस्तुत आंकड़े चित्र क्रमांक 7 प्रदर्शित किया गया है।

चित्र क्रमांक–7

पुरुष राजनीतिज्ञों के आंकड़ों के आधार पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा प्रबंधन में साधारण शिक्षा अथवा शारीरिक शिक्षा में स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को प्रबंधकीय पदों पर दायित्व सौंपे जाने के सम्बन्ध में

तालिका नं0–8

महिला राजनीतिज्ञों के आंकड़ों के आधार पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा प्रबंधन में साधारण शिक्षा अथवा शारीरिक शिक्षा में स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को प्रबंधकीय पदों पर दायित्व सौंपे जाने के सम्बन्ध में

साधारण शिक्षा	शारीरिक शिक्षा	अन्य
6	86	8

तालिका नं0 8 के आधार पर शोधार्थी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के दायित्व निर्धारण हेतु विभिन्न प्रबंधकीय पदों पर नियुक्त कर्मिकों के सम्बन्ध में महिला राजनीतिज्ञों ने 86 प्रतिशत यह जताया कि उक्त पद हेतु शारीरिक शिक्षा प्राप्त स्नातक अथवा स्तनकोत्तर प्राप्त व्यक्तियों को दायित्व सौंपा जाना चाहिये। 6 प्रतिशत महिला राजनीतिज्ञों ने साधारण शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में अपनी सहमति जताई जबकि मात्रा 8 प्रतिशत महिला राजनीतिज्ञों ने उक्त पदों के दायित्व अन्य को सौंपे जाने हेतु अपना समर्थन प्राप्त किया।

उपरोक्त तालिका में प्रस्तुत आंकड़े चित्र क्रमांक 8 प्रदर्शित किया गया है।

चित्र क्रमांक–8

महिला राजनीतिज्ञों के आंकड़ों के आधार पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा प्रबंधन में साधारण शिक्षा अथवा शारीरिक शिक्षा में स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को प्रबंधकीय पदों पर दायित्व सौंपे जाने के सम्बन्ध में

तालिका नं0–9

साधारण व्यक्ति (पुरुष) के आंकड़ों के आधार पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा प्रबंधन में साधारण शिक्षा अथवा शारीरिक शिक्षा में स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को प्रबंधकीय पदों पर दायित्व सौंपे जाने के सम्बन्ध में

साधारण शिक्षा	शारीरिक शिक्षा	अन्य
20	70	10

तालिका नं0 9 के आधार पर शोधार्थी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के दायित्व निर्धारण हेतु विभिन्न प्रबंधकीय पदों पर नियुक्त कर्मिकों के सम्बन्ध में साधारण व्यक्ति (पुरुष) ने 70 प्रतिशत यह जताया कि उक्त पद हेतु शारीरिक शिक्षा प्राप्त स्नातक अथवा स्तनकोत्तर प्राप्त व्यक्तियों को दायित्व सौंपा जाना चाहिये। 20 प्रतिशत साधारण व्यक्ति (पुरुष) ने साधारण शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में अपनी सहमति जताई जबकि मात्रा 10 प्रतिशत साधारण व्यक्ति (पुरुष) ने उक्त पदों के दायित्व अन्य को सौंपे जाने हेतु अपना समर्थन प्राप्त किया।

उपरोक्त तालिका में प्रस्तुत आंकड़े चित्र क्रमांक 9 प्रदर्शित किया गया है।

चित्र क्रमांक–9

साधारण व्यक्ति (पुरुष) के आंकड़ों के आधार पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा प्रबंधन में साधारण शिक्षा अथवा शारीरिक शिक्षा में स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को प्रबंधकीय पदों पर दायित्व सौंपे जाने के सम्बन्ध में

तालिका नं0–10

साधारण व्यक्ति (महिला) के आंकड़ों के आधार पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा प्रबंधन में साधारण शिक्षा अथवा शारीरिक शिक्षा में स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को प्रबंधकीय पदों पर दायित्व सौंपे जाने के सम्बन्ध में

साधारण शिक्षा	शारीरिक शिक्षा	अन्य
18	72	10

तालिका नं0 10 के आधार पर शोधार्थी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के दायित्व निर्धारण हेतु विभिन्न प्रबंधकीय पदों पर नियुक्त कर्मिकों के सम्बन्ध में साधारण व्यक्ति (महिला) ने 72 प्रतिशत यह जताया कि उक्त पद हेतु शारीरिक शिक्षा प्राप्त स्नातक अथवा स्तनकोत्तर प्राप्त व्यक्तियों को दायित्व सौंपा जाना चाहिये। 18 प्रतिशत साधारण व्यक्ति (महिला) ने साधारण शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में अपनी सहमति जताई जबकि मात्रा 10 प्रतिशत साधारण व्यक्ति (महिला) ने उक्त पदों के दायित्व अन्य को सौंपे जाने हेतु अपना समर्थन प्राप्त किया।

उपरोक्त तालिका में प्रस्तुत आंकड़े चित्र क्रमांक 10 प्रदर्शित किया गया है।

चित्र क्रमांक–10

साधारण व्यक्ति (महिला) के आंकड़ों के आधार पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा प्रबंधन में साधारण शिक्षा अथवा शारीरिक शिक्षा में स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को प्रबंधकीय पदों पर दायित्व सौंपे जाने के सम्बन्ध में

तालिका नं0–11

पुरुष खिलाड़ियों से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा मंत्रालय तथा संस्थानों में प्रशासकीय पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की योग्यता क्या होनी चाहिये

विभिन्न प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर शोध शिक्षार्थी ने अधिकांश प्रश्नावलियों में यह प्राप्त किया कि खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा मंत्रालय तथा संस्थानों में प्रशासकीय पदों पर नियुक्ति हेतु योग्यता में विषय वस्तुओं में शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर के साथ–साथ पी0एच0डी0 योग्यता चाही। कुछ विषयों ने उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रबंधन का दायित्व सौंपे जाने हेतु समर्थन किया तथा नगन्य विषयों ने आई0ए0एस0 तथा अन्य विषयों में शैक्षणिक योग्यता प्राप्त व्यक्तियों हेतु उक्त पदों के दायित्व संभालने हेतु अपनी सहमति जताई जिसके आधार पर तालिका निम्न प्रकार प्रस्तुत है–

शारीरिक शिक्षा में स्नकोत्तर तथा पी0एच0डी0	राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जिन्होने किसी भी विषय में स्नातक उपाधि प्राप्त की हो	आई0ए0एस0 तथा साधारण शिक्षा में उत्तीर्ण प्रशासकीय अधिकारीगण
45	50	5

तालिका नं0 11 के आधार पर शोधार्थी ने यह पाया कि पुरुष खिलाड़ियों ने 50 प्रतिशत राय शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय एवं संस्थानो में प्रशासकीय पदों पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की नियुक्ति में सहमति जताई। उन्होने 45 प्रतिशत सहमति शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर तथा पी0एच0डी0 प्राप्त छात्रों को प्रशासकीय जिम्मेदारी सौंपे जाने हेतु अपनी सहमति बताई तथा 5 प्रतिशत पुरुष खिलाड़ियों ने वर्तमान आई0ए0एस0 तथा शासन के विभिन्न प्रशासकीय पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को उक्त जिम्मेदारी सौंपे जाने का समर्थन किया।

तालिका क्रमांक 11 में प्रस्तुत आंकड़े चित्र क्रमांक 11 प्रदर्शित किया गया है।

चित्र क्रमांक–11

पुरुष खिलाड़ियों से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा मंत्रालय तथा संस्थानों में प्रशासकीय पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की योग्यता क्या होनी चाहिये

तालिका नं0—12

महिला खिलाड़ियों से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा मंत्रालय तथा संस्थानों में प्रशासकीय पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की योग्यता क्या होनी चाहिये

शारीरिक शिक्षा में स्नकोत्तर तथा पी0एच0डी0	राष्ट्रीय तथा अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जिन्होने किसी भी विषय में स्नातक उपाधि प्राप्त की हो	आई0ए0एस0 तथा साधारण शिक्षा में उर्त्तीण प्रशासकीय अधिकारीगण
41	54	5

तालिका नं0 12 के आधार पर शोधार्थी ने यह पाया कि महिला खिलाड़ियों ने 54 प्रतिशत राय शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय एवं संस्थानो में प्रशासकीय पदों पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की नियुक्ति में सहमति जताई। उन्होने 41 प्रतिशत सहमति शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर तथा पी0एच0डी0 प्राप्त छात्रों को प्रशासकीय जिम्मेदारी सौंपे जाने हेतु अपनी सहमति बताई तथा 5 प्रतिशत महिला खिलाड़ियों ने वर्तमान आई0ए0एस0 तथा शासन के विभिन्न प्रशासकीय पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को उक्त जिम्मेदारी सौंपे जाने का समर्थन किया।

तालिका क्रमांक 12 में प्रस्तुत आंकड़े चित्र क्रमांक 12 प्रदर्शित किया गया है।

चित्र क्रमांक–12

महिला खिलाड़ियों से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा मंत्रालय तथा संस्थानों में प्रशासकीय पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की योग्यता क्या होनी चाहिये

तालिका नं0–13

शारीरिक शिक्षा छात्र से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा मंत्रालय तथा संस्थानों में प्रशासकीय पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की योग्यता क्या होनी चाहिये

शारीरिक शिक्षा में स्नकोत्तर तथा पी0एच0डी0	राष्ट्रीय तथा अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जिन्होने किसी भी विषय में स्नातक उपाधि प्राप्त की हो	आई0ए0एस0 तथा साधारण शिक्षा में उर्त्तीण प्रशासकीय अधिकारीगण
89	7	4

तालिका नं0 13 के आधार पर इस शोध में यह पाया कि शारीरिक शिक्षा के छात्रों ने शारीरिक शिक्षा में स्नाकोत्तर तथा पी0एच0डी0 उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को प्रशासकीय अथवा प्रबंधकीय पदों की योगयता 89 प्रतिशत बताई तथा राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय खिलाड़ियों की नियुक्ति उक्त पदों पर करने हेतु केवल 7 प्रतिशत समर्थन किया। उन्होने आई0ए0एस0 तथा साधारण शिक्षा प्राप्त प्रशासकीय अधिकारियों को भारत सरकार अथवा शारीरिक शिक्षा खेल प्रबंधन के दायित्व सौपने हेतु नगन्य सहमति केवल 4 प्रतिशत व्यक्त किया।

तालिका क्रमांक 13 में प्रस्तुत आंकड़े चित्र क्रमांक 13 प्रदर्शित किया गया है।

चित्र क्रमांक–13

शारीरिक शिक्षा छात्र से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा मंत्रालय तथा संस्थानों में प्रशासकीय पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की योग्यता क्या होनी चाहिये

तालिका नं0–14

शारीरिक शिक्षा छात्राओं से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा मंत्रालय तथा संस्थानों में प्रशासकीय पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की योग्यता क्या होनी चाहिये

शारीरिक शिक्षा में स्नकोत्तर तथा पी0एच0डी0	राष्ट्रीय तथा अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जिन्होने किसी भी विषय में स्नातक उपाधि प्राप्त की हो	आई0ए0एस0 तथा साधारण शिक्षा में उर्त्तीण प्रशासकीय अधिकारीगण
90	5	5

तालिका नं0 14 के आधार पर इस शोध में यह पाया कि शारीरिक शिक्षा के छात्राओं ने शारीरिक शिक्षा में स्नाकोत्तर तथा पी0एच0डी0 उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को प्रशासकीय अथवा प्रबंधकीय पदों की योगयता 90 प्रतिशत बताई तथा राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय खिलाड़ियों एवं आई0ए0एस0 तथा साधारण शिक्षा प्राप्त प्रशासकीय अधिकारियों को 5–5 प्रतिशत समर्थन प्रदान किया।

तालिका क्रमांक 14 में प्रस्तुत आंकड़े चित्र क्रमांक 14 प्रदर्शित किया गया है।

<u>चित्र क्रमांक–14</u>

शारीरिक शिक्षा छात्राओं से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा मंत्रालय तथा संस्थानों में प्रशासकीय पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की योग्यता क्या होनी चाहिये

तालिका नं0–15

पत्रकार (पुरुष) से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा मंत्रालय तथा संस्थानों में प्रशासकीय पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की योग्यता क्या होनी चाहिये

शारीरिक शिक्षा में स्नकोत्तर तथा पी0एच0डी0	राष्ट्रीय तथा अन्र्तराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जिन्होने किसी भी विषय में स्नातक उपाधि प्राप्त की हो	आई0ए0एस0 तथा साधारण शिक्षा में उर्त्तीण प्रशासकीय अधिकारीगण
86	12	2

तालिका नं0 15 के आधार पर इस शोध में यह पाया कि पुरुष पत्रकारों ने भी शारीरिक शिक्षा में स्नाकोत्तर तथा पी0एच0डी0 उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को प्रशासकीय अथवा प्रबंधकीय पदों पर नियुक्ति योग्यता 86 प्रतिशत बताई तथा राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय खिलाड़ियों को 12 प्रतिशत समर्थन प्रदान किया। और आई0ए0एस0 तथा साधारण शिक्षा प्राप्त प्रशासकीय अधिकारियों को मात्र 2 प्रतिशत समर्थन प्रदान किया।

तालिका क्रमांक 15 में प्रस्तुत आंकड़े चित्र क्रमांक 15 प्रदर्शित किया गया है।

चित्र क्रमांक–15

पत्रकार (पुरुष) से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा मंत्रालय तथा संस्थानों में प्रशासकीय पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की योग्यता क्या होनी चाहिये

तालिका नं0–16

पत्रकार (महिला) से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा मंत्रालय तथा संस्थानों में प्रशासकीय पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की योग्यता क्या होनी चाहिये

शारीरिक शिक्षा में स्नकोत्तर तथा पी0एच0डी0	राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जिन्होने किसी भी विषय में स्नातक उपाधि प्राप्त की हो	आई0ए0एस0 तथा साधारण शिक्षा में उर्त्तीण प्रशासकीय अधिकारीगण
92	5	3

तालिका नं0 16 के आधार पर इस शोध में यह पाया कि महिला पत्रकारों ने भी शारीरिक शिक्षा में स्नाकोत्तर तथा पी0एच0डी0 उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को प्रशासकीय अथवा प्रबंधकीय पदों पर नियुक्ति योग्यता 92 प्रतिशत बताई तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 5 प्रतिशत समर्थन प्रदान किया। और आई0ए0एस0 तथा साधारण शिक्षा प्राप्त प्रशासकीय अधिकारियों को 3 प्रतिशत समर्थन प्रदान किया।

तालिका क्रमांक 16 में प्रस्तुत आंकड़े चित्र क्रमांक 16 प्रदर्शित किया गया है।

चित्र क्रमांक–16

पत्रकार (महिला) से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा मंत्रालय तथा संस्थानों में प्रशासकीय पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की योग्यता क्या होनी चाहिये

चित्र क्रमांक–17

राजनीतिज्ञ (पुरुष) से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा मंत्रालय तथा संस्थानों में प्रशासकीय पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की योग्यता क्या होनी चाहिये

तालिका नं0–18

राजनीतिज्ञ (महिला) से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा मंत्रालय तथा संस्थानों में प्रशासकीय पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की योग्यता क्या होनी चाहिये

शारीरिक शिक्षा में स्नकोत्तर तथा पी0एच0डी0	राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जिन्होने किसी भी विषय में स्नातक उपाधि प्राप्त की हो	आई0ए0एस0 तथा साधारण शिक्षा में उर्त्तीण प्रशासकीय अधिकारीगण
95	4	1

तालिका नं0 18 के आधार पर इस शोध में यह पाया कि महिला राजनीतिज्ञों ने भी शारीरिक शिक्षा में स्नाकोत्तर तथा पी0एच0डी0 उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को प्रशासकीय अथवा प्रबंधकीय पदों पर नियुक्ति योग्यता 95 प्रतिशत बताई तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 4 प्रतिशत समर्थन प्रदान किया। और आई0ए0एस0 तथा साधारण शिक्षा प्राप्त प्रशासकीय अधिकारियों को 1 प्रतिशत समर्थन प्रदान किया।

तालिका क्रमांक 18 में प्रस्तुत आंकड़े चित्र क्रमांक 18 प्रदर्शित किया गया है।

चित्र क्रमांक–18

राजनीतिज्ञ (महिला) से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा मंत्रालय तथा संस्थानों में प्रशासकीय पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की योग्यता क्या होनी चाहिये

तालिका नं0–19

जन साधारण (पुरुष) से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा मंत्रालय तथा संस्थानों में प्रशासकीय पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की योग्यता क्या होनी चाहिये

शारीरिक शिक्षा में स्नकोत्तर तथा पी0एच0डी0	राष्ट्रीय तथा अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जिन्होने किसी भी विषय में स्नातक उपाधि प्राप्त की हो	आई0ए0एस0 तथा साधारण शिक्षा में उर्त्तीण प्रशासकीय अधिकारीगण
91	8	1

तालिका नं0 19 के आधार पर इस शोध में यह पाया कि जन साधारण पुरुष ने भी शारीरिक शिक्षा में स्नाकोत्तर तथा पी0एच0डी0 उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को प्रशासकीय अथवा प्रबंधकीय पदों पर नियुक्ति योग्यता 94 प्रतिशत बताई तथा राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय खिलाड़ियों को 8 प्रतिशत समर्थन प्रदान किया। और आई0ए0एस0 तथा साधारण शिक्षा प्राप्त प्रशासकीय अधिकारियों को 1 प्रतिशत समर्थन प्रदान किया।

तालिका क्रमांक 19 में प्रस्तुत आंकड़े चित्र क्रमांक 19 प्रदर्शित किया गया है।

चित्र क्रमांक–19

जन साधारण (पुरुष) से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा मंत्रालय तथा संस्थानों में प्रशासकीय पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की योग्यता क्या होनी चाहिये

तालिका नं0–20

जन साधारण (महिला) से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा मंत्रालय तथा संस्थानों में प्रशासकीय पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की योग्यता क्या होनी चाहिये

शारीरिक शिक्षा में स्नकोत्तर तथा पी0एच0डी0	राष्ट्रीय तथा अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जिन्होने किसी भी विषय में स्नातक उपाधि प्राप्त की हो	आई0ए0एस0 तथा साधारण शिक्षा में उर्त्तीण प्रशासकीय अधिकारीगण
88	8	4

तालिका नं0 20 के आधार पर इस शोध में यह पाया कि जन साधारण महिला ने भी शारीरिक शिक्षा में स्नाकोत्तर तथा पी0एच0डी0 उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को प्रशासकीय अथवा प्रबंधकीय पदों पर नियुक्ति योग्यता 88 प्रतिशत बताई तथा राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय खिलाड़ियों को 8 प्रतिशत समर्थन प्रदान किया। और आई0ए0एस0 तथा साधारण शिक्षा प्राप्त प्रशासकीय अधिकारियों को 4 प्रतिशत समर्थन प्रदान किया।

तालिका क्रमांक 20 में प्रस्तुत आंकड़े चित्र क्रमांक 20 प्रदर्शित किया गया है।

चित्र क्रमांक–20

जन साधारण (महिला) से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा मंत्रालय तथा संस्थानों में प्रशासकीय पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की योग्यता क्या होनी चाहिये

तालिका नं0–21

खिलाड़ी (पुरुष) से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर भारत में वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था उचित है अथवा नहीं

पक्ष में	विपक्ष में	कुछ नहीं
2	93	5

तालिका नं0 21 के आधार पर इस शोध के दौरान यह पाया गया कि 93 प्रतिशत पुरुष खिलाड़ी भारत में वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था से खुश नहीं है तथा उन्होने उसके विपक्ष में अपनी सहमति जताई। सिर्फ 2 प्रतिशत पुरुष खिलाड़ियों ने वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था के पक्ष में समर्थन प्रदान किया तथा 5 प्रतिशत पुरुष खिलाड़ियों ने पक्ष एवं विपक्ष में कुछ कहने पर अपनी असहमति जाहरी किया।

तालिका क्रमांक 21 में प्रस्तुत आंकड़े चित्र क्रमांक 21 प्रदर्शित किया गया है।

चित्र क्रमांक–21

खिलाड़ी (पुरुष) से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर भारत में वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था उचित है अथवा नहीं

तालिका नं0–22

खिलाड़ी (महिला) से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर भारत में वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था उचित है अथवा नहीं

पक्ष में	विपक्ष में	कुछ नहीं
3	95	2

तालिका नं0 22 के आधार पर इस शोध के दौरान यह पाया गया कि 95 प्रतिशत पुरुष खिलाड़ी भारत में वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था से खुश नहीं है तथा उन्होने उसके विपक्ष में अपनी सहमति जताई। सिर्फ 3 प्रतिशत पुरुष खिलाड़ियों ने वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था के पक्ष में समर्थन प्रदान किया तथा 2 प्रतिशत पुरुष खिलाड़ियों ने पक्ष एवं विपक्ष में कुछ कहने पर अपनी असहमति जाहरी किया।

तालिका क्रमांक 22 में प्रस्तुत आंकड़े चित्र क्रमांक 22 प्रदर्शित किया गया है।

चित्र क्रमांक–22

खिलाड़ी (महिला) से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर भारत में वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था उचित है अथवा नहीं

तालिका नं0–23

शारीरिक शिक्षा छात्र से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर भारत में वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था उचित है अथवा नहीं

पक्ष में	विपक्ष में	कुछ नहीं
2	94	4

तालिका नं0 23 के आधार पर इस शोध के दौरान यह पाया गया कि 94 प्रतिशत पुरुष खिलाड़ी भारत में वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था से खुश नहीं है तथा उन्होने उसके विपक्ष में अपनी सहमति जताई। सिर्फ 2 प्रतिशत पुरुष खिलाड़ियों ने वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था के पक्ष में समर्थन प्रदान किया तथा 4 प्रतिशत पुरुष खिलाड़ियों ने पक्ष एवं विपक्ष में कुछ कहने पर अपनी असहमति जाहरी किया।

तालिका क्रमांक 23 में प्रस्तुत आंकड़े चित्र क्रमांक 23 प्रदर्शित किया गया है।

चित्र क्रमांक7–23

शारीरिक शिक्षा छात्र से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर भारत में वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था उचित है अथवा नहीं

तालिका नं0–24

शारीरिक शिक्षा छात्राओं से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर भारत में वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था उचित है अथवा नहीं

पक्ष में	विपक्ष में	कुछ नहीं
2	96	2

तालिका नं0 24 के आधार पर इस शोध के दौरान यह पाया गया कि 96 प्रतिशत पुरुष खिलाड़ी भारत में वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था से खुश नहीं है तथा उन्होने उसके विपक्ष में अपनी सहमति जताई। सिर्फ 2 प्रतिशत पुरुष खिलाड़ियों ने वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था के पक्ष में समर्थन प्रदान किया तथा 2 प्रतिशत पुरुष खिलाड़ियों ने पक्ष एवं विपक्ष में कुछ कहने पर अपनी असहमति जाहरी किया।

तालिका क्रमांक 24 में प्रस्तुत आंकड़े चित्र क्रमांक 24 प्रदर्शित किया गया है।

चित्र क्रमांक–24

शारीरिक शिक्षा छात्राओं से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर भारत में वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था उचित है अथवा नहीं

तालिका नं0–25

पत्रकार पुरुष से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर भारत में वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था उचित है अथवा नहीं

पक्ष में	विपक्ष में	कुछ नहीं
5	86	9

तालिका नं0 25 के आधार पर इस शोध के दौरान यह पाया गया कि 86 प्रतिशत पुरुष पत्रकारों ने भारत में वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था से अपनी नराजगी जाहिर करते हुये, उसके विपक्ष में अपनी सहमति जताई। सिर्फ 5 प्रतिशत पुरुष पत्रकार ने वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था के पक्ष में समर्थन प्रदान किया तथा 9 प्रतिशत पुरुष पत्रकार ने पक्ष एवं विपक्ष में कुछ कहने पर अपनी असहमति जाहरी किया।

तालिका क्रमांक 25 में प्रस्तुत आंकड़े चित्र क्रमांक 25 प्रदर्शित किया गया है।

चित्र क्रमांक–25

पत्रकार पुरुष से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर भारत में वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था उचित है अथवा नहीं

तालिका नं0–26

पत्रकार (महिला) से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर भारत में वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था उचित है अथवा नहीं

पक्ष में	विपक्ष में	कुछ नहीं
3	93	4

तालिका नं0 26 के आधार पर इस शोध के दौरान यह पाया गया कि 93 प्रतिशत महिला पत्रकारों ने भारत में वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था से अपनी नराजगी जाहिर करते हुये, उसके विपक्ष में अपनी सहमति जताई। सिर्फ 3 प्रतिशत महिला पत्रकारों ने वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था के पक्ष में समर्थन प्रदान किया तथा 4 प्रतिशत महिला पत्रकारों ने पक्ष एवं विपक्ष में कुछ कहने पर अपनी असहमति जाहरी किया।

तालिका क्रमांक 26 में प्रस्तुत आंकड़े चित्र क्रमांक 26 प्रदर्शित किया गया है।

चित्र क्रमांक–26

पत्रकार (महिला) से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर भारत में वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था उचित है अथवा नहीं

तालिका नं0—27

राजनीतिज्ञ (पुरुष) से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर भारत में वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था उचित है अथवा नहीं

पक्ष में	विपक्ष में	कुछ नहीं
1	98	1

तालिका नं0 27 के आधार पर इस शोध के दौरान यह पाया गया कि 98 प्रतिशत पुरुष राजीतिज्ञ ने भारत में वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था से खुश नहीं है। जबकि उन्होने उनके पक्ष में सिर्फ 1 प्रतिशत समहति बताई एवं 1 प्रतिशत राजनीझि ने कुछ भी कहने में अपनी सहमति जताई।

तालिका क्रमांक 27 में प्रस्तुत आंकड़े चित्र क्रमांक 27 प्रदर्शित किया गया है।

चित्र क्रमांक–27

राजनीतिज्ञ (पुरुष) से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर भारत में वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था उचित है अथवा नहीं

तालिका नं0–28

राजनीतिज्ञ (महिला) से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर भारत में वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था उचित है अथवा नहीं

पक्ष में	विपक्ष में	कुछ नहीं
1	97	2

तालिका नं0 28 के आधार पर इस शोध के दौरान यह पाया गया कि 97 प्रतिशत महिला राजीतिज्ञ ने भारत में वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था से नराजगी दिखाते हुये उसके विपक्ष में अत्याधिक मत किया। जबकि उन्होने उनके पक्ष में मात्र 1 प्रतिशत समहति बताई एवं 2 प्रतिशत महिला राजनीज्ञि ने कुछ भी कहने में अपनी सहमति जताई।

तालिका क्रमांक 28 में प्रस्तुत आंकड़े चित्र क्रमांक 28 प्रदर्शित किया गया है।

चित्र क्रमांक–28

राजनीतिज्ञ (महिला) से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर भारत में वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था उचित है अथवा नहीं

तालिका नं0–29

जनसाधारण (पुरुष) से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर भारत में वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था उचित है अथवा नहीं

पक्ष में	विपक्ष में	कुछ नहीं
11	80	9

तालिका नं0 29 के आधार पर इस शोध के दौरान यह पाया गया कि जन साधारण (पुरुष) ने भारत में वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था के विपक्ष में 80 प्रतिशत मत जाहिर किये जबकि पक्ष में 11 प्रतिशत मत प्रदान किया गया। 9 प्रतिशत जनसाधारण (पुरुषों) ने वर्तमान भारतीय प्रशासकीय खेल व्यवस्था के प्रति अपनी सहमति कुछ भी जाहिर करने से इन्कार किया।

तालिका क्रमांक 29 में प्रस्तुत आंकड़े चित्र क्रमांक 29 प्रदर्शित किया गया है।

चित्र क्रमांक–29

जनसाधारण (पुरुष) से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर भारत में वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था उचित है अथवा नहीं

तालिका नं0–30

जनसाधारण (महिला) से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर भारत में वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था उचित है अथवा नहीं

पक्ष में	विपक्ष में	कुछ नहीं
12	76	12

तालिका नं0 30 के आधार पर इस शोध के दौरान यह पाया गया कि जन साधारण (महिला) ने भारत में वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था के विपक्ष में 76 प्रतिशत मत जाहिर किये जबकि पक्ष में 12 प्रतिशत मत प्रदान किया गया। 12 प्रतिशत जनसाधारण (महिला) ने वर्तमान भारतीय प्रशासकीय खेल व्यवस्था के प्रति अपनी सहमति कुछ भी जाहिर करने से इन्कार किया।

तालिका क्रमांक 30 में प्रस्तुत आंकड़े चित्र क्रमांक 30 प्रदर्शित किया गया है।

चित्र क्रमांक–30

जनसाधारण (महिला) से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर भारत में वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था उचित है अथवा नहीं

तालिका नं0—31

पुरुष खिलाड़ियों से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर भारत में खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के संचालन हेतु अलग से अपना परिषद होने से सम्बन्धित

पक्ष में	विपक्ष में	कुछ नहीं
90	5	5

तालिका नं0 31 के आधार पर इस शोध शिक्षार्थी ने अपने वर्तमान शोध प्रबंध में यह पाया कि 90 प्रतिशत पुरुष खिलाड़ी अन्य विधाओं में उनके स्वयं की परिषद होने के आधार पर भारतीय खेलकूद परिषद अथवा भारतीय शारीरिक शिक्षा परिषद को समर्थन किया मात्र 5 प्रतिशत पुरुष खिलाड़ियों ने इसके पक्ष में अपना मत जाहिर किया तथा 5 प्रतिशत पुरुष खिलाड़ियों ने भी इस विषय में किसी भी प्रकार का मत जाहिर करने से इंकार किया।

तालिका क्रमांक 31 में प्रस्तुत आंकड़े चित्र क्रमांक 31 प्रदर्शित किया गया है।

चित्र क्रमांक–31

पुरुष खिलाड़ियों से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर भारत में खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के संचालन हेतु अलग से अपना परिषद होने से सम्बन्धित

तालिका नं0–32

महिला खिलाड़ियों से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर भारत में खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के संचालन हेतु अलग से अपना परिषद होने से सम्बन्धित

पक्ष में	विपक्ष में	कुछ नहीं
91	6	3

तालिका नं0 32 के आधार पर इस शोध शिक्षार्थी ने अपने वर्तमान शोध प्रबंध में यह पाया कि 91 प्रतिशत महिला खिलाड़ी अन्य विधाओं में उनके स्वयं की परिषद होने के आधार पर भारतीय खेलकूद परिषद अथवा भारतीय शारीरिक शिक्षा परिषद को समर्थन किया मात्र 6 प्रतिशत महिला खिलाड़ियों ने इसके पक्ष में अपना मत जाहिर किया तथा 3 प्रतिशत महिला खिलाड़ियों ने भी इस विषय में किसी भी प्रकार का मत जाहिर करने से इंकार किया।

तालिका क्रमांक 32 में प्रस्तुत आंकड़े चित्र क्रमांक 32 प्रदर्शित किया गया है।

चित्र क्रमांक–32

महिला खिलाड़ियों से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर भारत में खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के संचालन हेतु अलग से अपना परिषद होने से सम्बन्धित

तालिका नं0—33

शारीरिक शिक्षा छात्र से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर भारत में खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के संचालन हेतु अलग से अपना परिषद होने से सम्बन्धित

पक्ष में	विपक्ष में	कुछ नहीं
93	5	2

तालिका नं0 33 के आधार पर इस शोध शिक्षार्थी ने अपने वर्तमान शोध प्रबंध में यह पाया कि 93 प्रतिशत शारीरिक शिक्षा छात्र अन्य विधाओं में उनके स्वयं की परिषद होने के आधार पर भारतीय खेलकूद परिषद अथवा भारतीय शारीरिक शिक्षा परिषद को समर्थन किया मात्र 5 प्रतिशत शारीरिक शिक्षा छात्र ने इसके पक्ष में अपना मत जाहिर किया तथा 2 प्रतिशत शारीरिक शिक्षा छात्र ने भी इस विषय में किसी भी प्रकार का मत जाहिर करने से इंकार किया।

तालिका क्रमांक 33 में प्रस्तुत आंकड़े चित्र क्रमांक 33 प्रदर्शित किया गया है।

चित्र क्रमांक–33

शारीरिक शिक्षा छात्र से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर भारत में खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के संचालन हेतु अलग से अपना परिषद होने से सम्बन्धित

तालिका नं0–34

शारीरिक शिक्षा छात्राओं से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर भारत में खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के संचालन हेतु अलग से अपना परिषद होने से सम्बन्धित

पक्ष में	विपक्ष में	कुछ नहीं
92	6	2

तालिका नं0 34 के आधार पर इस शोध शिक्षार्थी ने अपने वर्तमान शोध प्रबंध में यह पाया कि 92 प्रतिशत शारीरिक शिक्षा छात्रओं अन्य विधाओं में उनके स्वयं की परिषद होने के आधार पर भारतीय खेलकूद परिषद अथवा भारतीय शारीरिक शिक्षा परिषद को समर्थन किया मात्र 6 प्रतिशत शारीरिक शिक्षा छात्रओं ने इसके पक्ष में अपना मत जाहिर किया तथा 2 प्रतिशत शारीरिक शिक्षा छात्रओं ने भी इस विषय में किसी भी प्रकार का मत जाहिर करने से इंकार किया।

तालिका क्रमांक 34 में प्रस्तुत आंकड़े चित्र क्रमांक 34 प्रदर्शित किया गया है।

चित्र क्रमांक–34

शारीरिक शिक्षा छात्राओं से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर भारत में खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के संचालन हेतु अलग से अपना परिषद होने से सम्बन्धित

तालिका नं0–35

पुरुष पत्रकार से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर भारत में खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के संचालन हेतु अलग से अपना परिषद होने से सम्बन्धित

पक्ष में	विपक्ष में	कुछ नहीं
86	9	5

तालिका नं0 35 के आधार पर इस शोध शिक्षार्थी ने अपने वर्तमान शोध प्रबंध में यह पाया कि 86 प्रतिशत पुरुष पत्रकार अन्य विधाओं में उनके स्वयं की परिषद होने के आधार पर भारतीय खेलकूद परिषद अथवा भारतीय शारीरिक शिक्षा परिषद को समर्थन किया मात्र 9 प्रतिशत पुरुष पत्रकार ने इसके पक्ष में अपना मत जाहिर किया तथा 5 प्रतिशत पुरुष पत्रकार ने भी इस विषय में किसी भी प्रकार का मत जाहिर करने से इंकार किया।

तालिका क्रमांक 35 में प्रस्तुत आंकड़े चित्र क्रमांक 35 प्रदर्शित किया गया है।

चित्र क्रमांक–35

पुरुष पत्रकार से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर भारत में खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के संचालन हेतु अलग से अपना परिषद होने से सम्बन्धित

तालिका नं0–36

महिला पत्रकारों से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर भारत में खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के संचालन हेतु अलग से अपना परिषद होने से सम्बन्धित

पक्ष में	विपक्ष में	कुछ नहीं
84	6	10

तालिका नं0 36 के आधार पर इस शोध शिक्षार्थी ने अपने वर्तमान शोध प्रबंध में यह पाया कि 84 प्रतिशत महिला पत्रकारों ने अन्य विधाओं में उनके स्वयं की परिषद होने के आधार पर भारतीय खेलकूद परिषद अथवा भारतीय शारीरिक शिक्षा परिषद को समर्थन किया मात्र 6 प्रतिशत महिला पत्रकारों ने इसके पक्ष में अपना मत जाहिर किया तथा 10 प्रतिशत महिला पत्रकारों ने भी इस विषय में किसी भी प्रकार का मत जाहिर करने से इंकार किया।

तालिका क्रमांक 36 में प्रस्तुत आंकड़े चित्र क्रमांक 36 प्रदर्शित किया गया है।

चित्र क्रमांक–36

महिला पत्रकारों से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर भारत में खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के संचालन हेतु अलग से अपना परिषद होने से सम्बन्धित

तालिका नं0–37

राजनीतिज्ञ (पुरुष) से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर भारत में खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के संचालन हेतु अलग से अपना परिषद होने से सम्बन्धित

पक्ष में	विपक्ष में	कुछ नहीं
96	2	2

तालिका नं0 37 के आधार पर इस शोध शिक्षार्थी ने अपने वर्तमान शोध प्रबंध में यह पाया कि 96 प्रतिशत राजनीतिज्ञ पुरुषों ने अन्य विधाओं में उनके स्वयं के परिषद होने के आधार पर भारतीय खेलकूद परिषद अथवा भारतीय शारीरिक शिक्षा परिषद को समर्थन किया मात्र 2 प्रतिशत राजनीतिज्ञ पुरुषों ने इसके पक्ष में अपना मत जाहिर किया तथा 2 प्रतिशत राजनीतिज्ञ पुरुषों ने इस विषय में किसी भी प्रकार का मत जाहिर करने से इंकार किया।

तालिका क्रमांक 37 में प्रस्तुत आंकड़े चित्र क्रमांक 37 प्रदर्शित किया गया है।

चित्र क्रमांक–37

राजनीतिज्ञ (पुरुष) से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर भारत में खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के संचालन हेतु अलग से अपना परिषद होने से सम्बन्धित

तालिका नं0—38

राजनीतिज्ञ (महिला) से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर भारत में खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के संचालन हेतु अलग से अपना परिषद होने से सम्बन्धित

पक्ष में	विपक्ष में	कुछ नहीं
98	1	1

तालिका नं0 38 के आधार पर इस शोध शिक्षार्थी ने अपने वर्तमान शोध प्रबंध में यह पाया कि 98 प्रतिशत राजनीतिज्ञ महिलाओं ने अन्य विधाओं में उनके स्वयं के परिषद होने के आधार पर भारतीय खेलकूद परिषद अथवा भारतीय शारीरिक शिक्षा परिषद को समर्थन किया मात्र 1 प्रतिशत राजनीतिज्ञ महिलाओं ने इसके पक्ष में अपना मत जाहिर किया तथा 1 प्रतिशत राजनीतिज्ञ महिलाओं ने इस विषय में किसी भी प्रकार का मत जाहिर करने से इंकार किया।

तालिका क्रमांक 38 में प्रस्तुत आंकड़े चित्र क्रमांक 38 प्रदर्शित किया गया है।

चित्र क्रमांक–38

राजनीतिज्ञ (महिला) से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर भारत में खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के संचालन हेतु अलग से अपना परिषद होने से सम्बन्धित

तालिका नं0–39

जनसाधारण (पुरुष) से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर भारत में खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के संचालन हेतु अलग से अपना परिषद् होने से सम्बन्धित

पक्ष में	विपक्ष में	कुछ नहीं
83	4	13

तालिका नं0 39 के आधार पर इस शोध शिक्षार्थी ने अपने वर्तमान शोध प्रबंध में यह पाया कि 83 प्रतिशत जनसाधारण पुरुष ने अन्य विधाओं में उनके स्वयं के परिषद होने के आधार पर भारतीय खेलकूद परिषद अथवा भारतीय शारीरिक शिक्षा परिषद को समर्थन किया मात्र 4 प्रतिशत जनसाधारण पुरुष ने इसके पक्ष में अपना मत जाहिर किया तथा 13 प्रतिशत जनसाधारण पुरुष ने इस विषय में किसी भी प्रकार का मत जाहिर करने से इंकार किया।

तालिका क्रमांक 39 में प्रस्तुत आंकड़े चित्र क्रमांक 39 प्रदर्शित किया गया है।

चित्र क्रमांक–39

जनसाधारण (पुरुष) से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर भारत में खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के संचालन हेतु अलग से अपना परिषद होने से सम्बन्धित

तालिका नं0–40

जनसाधारण (महिला) से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर भारत में खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के संचालन हेतु अलग से अपना परिषद होने से सम्बन्धित

पक्ष में	विपक्ष में	कुछ नहीं
76	20	4

तालिका नं0 40 के आधार पर इस शोध शिक्षार्थी ने अपने वर्तमान शोध प्रबंध में यह पाया कि 76 प्रतिशत जनसाधारण महिलाओं ने अन्य विधाओं में उनके स्वयं के परिषद होने के आधार पर भारतीय खेलकूद परिषद अथवा भारतीय शारीरिक शिक्षा परिषद को समर्थन किया मात्र 20 प्रतिशत जनसाधारण महिलाओं ने इसके पक्ष में अपना मत जाहिर किया तथा 4 प्रतिशत जनसाधारण महिलाओं ने इस विषय में किसी भी प्रकार का मत जाहिर करने से इंकार किया।

तालिका क्रमांक 40 में प्रस्तुत आंकड़े चित्र क्रमांक 40 प्रदर्शित किया गया है।

चित्र क्रमांक–40

जनसाधारण (महिला) से प्राप्त प्रश्नावलियों तथा साक्षात्कार के आधार पर भारत में खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के संचालन हेतु अलग से अपना परिषद होने से सम्बन्धित

पंचम अध्याय

पंचम अध्याय

संक्षेपिका, उपसंहार एवं अनुशंसा

भारतीय खेल प्रबंधन एक विश्लेषणात्मक अध्ययन जो कि भारत सरकार के खेल मंत्रालय एवं भारत सरकार के द्वारा स्थापित एवं पोषित शारीरिक शिक्षा संस्थान, ''लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (सम विश्वविद्यालय) ग्वालियर'' में नीति निर्धारण करने के पदों पर आसीन पदाधिकारियों के सम्बन्ध में इस शोध ग्रंथ में किया गया। जिससे कि यह पता लगाया जा सके कि भारतीय खेल के उत्थान एवं उन्नति तथा शारीरिक शिक्षा के एक मात्र विश्वविद्यालय जो कि भारत सरकार के द्वारा स्थापित एवं पोषित है में प्रबन्धकीय पदों पर आसीन पदाधिकारी अपनी योग्यता के अनुरुप नीति निर्धारण कर पाने में सक्षम है या नहीं।

शोध छात्र के द्वारा उक्त संस्थानों के उच्च पदाधिकारियों से उनकी शैक्षणिक एवं विशेष शैक्षणिक योग्यता के विषय में जानकारी प्रदान कराने हेतु अनेकों बार निवेदन करने के पश्चात भी पदाधिकारियों के द्वारा किसी भी प्रकार की जानकारी शोध विद्यार्थी को प्रदान नहीं की गई।

अतः शोध विद्यार्थी ने अपने स्रोतों तथा इण्टरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर भारत सरकार के खेल मंत्रालय तथा लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (सम विश्वविद्यालय) ग्वालियर के उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों की शैक्षणिक एवं विशेष व्यवसायिक योग्यता की जानकारी प्राप्त कर प्राप्त आंकड़ों के आधार पर संक्षेपिका निम्न प्रकार उल्लेखित किया गया है।

1. भारत सरकार के खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय में सचिव, सह सचिव, उप सचिव एवं निदेशक के पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय विविध सेवा से चुने गये पदाधिकारी कार्यरत है। परन्तु उक्त पदाधिकारी किसी भी प्रकार खेल व्यवसायिक योग्यता को नहीं रखते है परन्तु उक्त समस्त अधिकारी भारत सरकार तथा केन्द्र सरकार के द्वारा खेल एवं युवा कार्यक्रम के नीति निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाते हैं।

तालिका क्रमांक 1 लगायत 10 से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर इस शोध में यह निष्कर्ष पाया गया कि शारीरिक शिक्षा में व्यवसायिक योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को खिलाड़ी, शारीरिक शिक्षा के छात्र, पत्रकार, राजनीतिज्ञ तथा जन साधारण ने भारतीय शारीरिक शिक्षा प्रबंधन में साधारण शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के विपरीत दायित्व सौपने हेतु अपना मत प्रदान किया। वैसा ही मत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपने आदेश जो कि म0प्र0 फेंन्सिग संघ बनाम श्री विद्याचरण शुक्ला[1] में प्रतिपादित करते हुये केन्द्र सरकार को यह सलाह दी थी कि सरकार राष्ट्रीय व अर्न्तराष्ट्रीय खेलों के आयोजन में अधिक से अधिक रुचि लेते हुये भारतीय खेलों में प्रबंधन की जिम्मेदारी उन व्यक्तियों को सौपे जिनको कि खेलकूद अथवा उस विषय में व्यावसायिक योग्यता प्राप्त हो।

1. 1991 AIR SCW : 774 M.P. Fencing Association Vs. Shri. Vidya Charan Shukla & ors.

इसी प्रकार अर्न्तराष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा चार्टर ने अपने अर्न्तराष्ट्रीय संगोष्ठी जो कि 1978 में सम्पन्न हुई थी के अनुच्छेद 4 के द्वारा घोषणा की थी कि शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के प्रबंधन की जिम्मेदारी सिर्फ स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के दक्ष व्यक्तियों के जिम्मे ही किया जावे।[2]

शोध विद्यार्थी ने लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (सम विश्वविद्यालय) ग्वालियर में वर्तमान में कार्यरत कुलपति, कुलसचिव, वित्त अधिकारी, उप निदेशक एवं सहायक निदेशकों के व्यावसायिक एवं शैक्षणिक योग्यता के विषय में स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह जानकारी प्राप्त किया कि उपरोक्त समस्त पदों पर आसीन किसी भी अधिकारी की व्यावसायिक अथवा शैक्षणिक योग्यता शारीरिक शिक्षा संस्थान में उनके कर्तव्य के निष्पादन के अनुरुप नहीं पाया जाता है। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (नेशनल काउसिंल ऑफ टीचर एजुकेशन) के अनुसार किसी भी शारीरिक शिक्षा संस्थान व महाविद्यालय के प्राचार्य अथवा विभागाध्यक्ष की शैक्षणिक योग्यता निम्न प्रकार दी गई है ''शारीरिक शिक्षा में 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर और पी0एच0डी0 उपाधि के साथ–साथ किसी भी स्नातकोत्तर स्तर के महाविद्यालय में पन्द्रह साल की शिक्षण अनुभव तथा प्रशासकीय अनुभव होना'' परन्तु जानकारी प्राप्त करने के पश्चात यह पाया गया कि उक्त संस्थान में कुलपति के साथ–साथ किसी भी अधिकारी के पास

1. UNESCO : International charter of Physical Education and Sports (poclaimed by 20th Session of UNESCO Gerneral Conference 1978, Paris Nov. 1978 (Article-1)

उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता नहीं है। ऐसे में एक राष्ट्रीय स्तर के शारीरिक शिक्षा के संस्थान में निष्ठापूर्वक शारीरिक शिक्षा के शिक्षण एवं शोध के विषय में नीति निर्धारण करना उन पदाधिकारियों के लिये कदाचित सम्भव नहीं है।

इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार ने इंजीनियरिंग, चिकित्सा, विधि एवं कृषि के उच्च स्तरीय संस्थानों में समस्त उच्च पदाधिकारी जो कि उक्त संस्थान के संचालन एवं नीति निर्देशन के जिम्मेदार होते हैं के पद पर व्यावासायिक योग्यता रखने वाले अधिकारियों को नियुक्त करने का नियम बनाया हुआ है। जो कि भारत सरकार के द्वारा स्थापित विभिन्न भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थानों (आई0आई0टी0) भारतीय चिकित्सा एवं विज्ञान संस्थान (आई0आई0एम0एस0) तथा कृषि विश्वविद्यालयों में कोई भी व्यक्ति उसके निदेशक/कुलपति, कुलसचिव तथा किसी भी प्रबंधन के पद पर नियुक्ति नहीं किया जाता है। परन्तु शोधार्थी के संज्ञान में इस शोध कार्य के दौरान यह जानकारी प्राप्त हुई है कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (सम विश्वविद्यालय) ग्वालियर में कुलपति के पद पर एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्त है जिन्हें कि शारीरिक शिक्षा के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है। तथा उनके विभिन्न सहयोगी पदाधिकारियों के रुप में कुलसचिव के पद पर कृषि विज्ञान से स्नातक किया हुआ एक कार्मिक नियुक्त है एवं विभिन्न निदेशक एवं उपनिदेशक पद पर भी ऐसे व्यक्ति कार्यरत है जिन्हें की शारीरिक शिक्षा का क, ख, ग भी नहीं मालूम है। शोधार्थी के अध्ययन के दौरान तालिका क्रमांक– 11 लगायत 20 में प्राप्त आंकाड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष पाया है कि सर्वेक्षण में अधिकांश विषयों ने खेलकूद एवं शारीरिक

शिक्षा मंत्रालय के संस्थानों में प्रशासकीय पदों पर नियुक्त हेतु अधिकांश सहमति शारीरिक शिक्षा में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को देने की अनुशंसा की है कुछ प्रतिशत व्यक्तियों ने राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों जिन्होने कि किसी भी विषय में स्नातक उपाधि प्राप्त की है को प्रशासकीय पदों की जिम्मेदारी सौपने की अनुशंसा की है।

शोध शिक्षार्थी ने भारतीय खेल प्रबंधन में वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था जिसमें की मंत्रालय स्तर पर भारतीय प्रशासकीय सेवा तथा भारतीय विविध सेवा एवं लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (सम विश्वविद्यालय) ग्वालियर में पदस्थ अधिकारियों की शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता बतलाते हुये अपने शोध विषयों से उनके पक्ष एवं विपक्ष में मत करने हेतु प्रश्नावली प्रस्तुत कर यह आंकड़ा प्राप्त किया की 90 से 95 प्रतिशत व्यक्ति वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था के विपक्ष में है तथा मात्र 2 से 5 प्रतिशत व्यक्ति ही उसके पक्ष में हैं उक्त आंकड़ों का विश्लेषण तालिंका क्रमांक– 21 लगायत 30 में उल्लेखित है।

शोध शिक्षार्थी ने अपने शोध के दौरान भारतीय सांसद की पुस्तकालय तथा अन्य संस्थानों से यह जानकारी एकत्रित कि भारत में विभिन्न विधाओं के संचालन एवं नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रकार परिषद भारतीय संसद के द्वारा निर्मित किये हुये हैं। जैसे कि प्राद्यौगिकी हेतु अखिल भारतीय प्राद्योगिकी शिक्षा परिषद, चिकित्सा हेतु अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद, विधि व्यवसाय एवं शिक्षण हेतु अखिल भारतीय अभिभाषक परिषद तथा कृषि शिक्षा एवं शोध हेतु अखिल भारतीय कृषि शोध परिषद का विधिक निर्माण भारतीय

संसद के द्वारा किया जाकर उन्हें उक्त विषयों के शिक्षा एवं संचालन हेतु स्वायत्तता प्राप्त हैं। परन्तु शारीरिक शिक्षा एवं खेल हेतु किसी भी प्रकार की ऐसी संसदीय परिषद का निर्माण भारत के संसद के द्वारा नहीं किया गया है। जबकि भारत सरकार के मानवसंसाधन एवं विकास मंत्रालय के लिये गठित संसदीय सलाहकार समिति के द्वारा अपने विभिन्न अनुदेशों में अनेकों बार यह अनुशंसा की गई है कि भारत में खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के संचालन हेतु उनके विषय विधाओं में व्यावसायिक योग्यता प्राप्त व्यक्तियों का एक परिषद गठन किया जावे।[3] परन्तु आज तक भारत सरकार के द्वारा उक्त अनुशंसा को स्वीकृत करने के पश्चात भी किसी भी प्रकार की कोशिश एक स्वायत्त परिषद जो कि शारीरिक शिक्षा अथवा खेलकूद हेतु निर्मित किया जाना है। में किसी भी प्रकार का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। जबकि राज्य सभा सचिवालय नई दिल्ली के द्वारा प्रकाशित अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि वर्तमान मानव संसाधन एवं विकास मंत्री, श्री अर्जुन सिंह उपरोक्त उल्लेखित संसदीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। शोध छात्र के द्वारा अपने शोध के दौरान प्राप्त आकड़ों के आधार पर अधिकांश विषयों में शारीरिक शिक्षा के संचालन हेतु एक स्वाधीन एवं स्वायत्त शारीरिक शिक्षा परिषद के निर्माण हेतु अपना मत जाहिर किया है। जो कि तालिका क्रमांक–31 लगायत 40 में वर्णित है।

---

1. Parliament of India Rajya Sabha No. 141, Department Related Parliamentary standing committee on Human Resource Development Rajya Sabha Secretariat New Delhi. Arpil 2003 : 13-14

परिशिष्ट

तार : विश्वविद्यालय
Gram : UNIVERSITY

टेलीफोन : कार्या० 2
कुलसचिव : निवास० 2
फैक्स : 0517 2

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI

B++ (ABOVE 5 STAR) ACCREDITION BY NAAC (UGC)

झाँसी (उ.प्र.) 284

संदर्भ ....

दिनांक 18.10.0

To,

General Secretary
Parliament House
New Delhi

Sub : Request for permission to attend library of Parliament House.

Sir,

Shri Sanjeev Kumar Gupta, research scholar of physical education Department of Bundelkhand University, Jhansi wants to consult the library of Parliament House to collect the data related to his research topic. You are requested to kindly permit him to attend the library & collect the data.

With regards.

(Prof. Shashi Kant)
Director
Director
M.D. Institute of Physical Education
Bundelkhand University
JHANSI

Encl- Photo copy of Registration Letter for Ph.D.

निदेशक शारीरिक शिक्षा मेजर ध्यानचन्द्र शारीरिक शिक्षा संस्थान (बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय) के द्वारा महासचिव संसद भवन नई दिल्ली को संसद के पुस्तकालय में अभिलेखों का संकलन करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत पत्र

शोध छात्र माननीय सांसद **श्री अमर** सिंह सांसद राज्य सभा को शोध विषय से **सम्बन्धित** प्रश्**नावली** सौंपकर उसे भरने का आग्रह **करते** हुये

प्रवेश पत्र सं०/Pass No. 21/01/12085 अहस्तांतरणीय/NOT TRANSFERABLE

लोक सभा सचिवालय, संसदीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT, PARLIAMENT LIBRARY, NEW DELHI

नैमित्तिक प्रवेश पत्र/CASUAL ENTRY PERMIT
आगन्तुक पर्ची/***Visitor Slip***

दिनांक
Date : 25/10/2005 25/10/2005

साथ जाने वाले व्यक्ति
Accompanied Persons

समय
Time : ~~10:36~~ ~~11:36~~ 1645 - 1745 0

आगन्तुक का नाम
Visitor's Name : **SANJEEV KUMAR**

को निम्नवत जाने की अनुमति दी जाती है
is permited to proceed to

कमरा सं.
Room No. : G129.........में

तल सं०
Floor No. : GF........पर

लिफ्ट सं.०
Lift No. : - ....से

द्वार सं.
Gate No. : - ....से

प्रयोजन
Purpose : OFFICIAL

आगन्तुक के हस्ताक्षर
Sign. of Visitor :

सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर
Sign. of Security Officer :

आगन्तुकों से अनुरोध है कि वे केवल आगन्तुक पर्ची में निर्दिष्ट व्यक्ति से ही मुलाकात करें। मुलाकात के बाद इस पर्ची को निकास द्वार पर जमा करा दें।
The Visitors are requested to visit only the person specified in the visitor slip. After the visit is over, deposit the slip at the Exit Gate.

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर जिससे आगन्तुक को मुलाकात करने की अनुमति दी गई
*Signature of the person whom the visitor was permited to see*________________

संदर्भ ग्रन्थ सूची

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- लोक सभा वाद–विवाद गुरुवार 17 श्रावण, 1924 (शक) 08.08.2002 पृष्ठ क्रमांक : 290
- लोकसभा वाद–विवाद, 28 अग्रहायण 1924 (शक) 19.12.2002 पृष्ठक्र0318 पृष्ठ क्रमांक 5001
- नियम 337 के अधीन मामले द्वारा श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) 13.05.02
- नियम 377 के अधीन मामले द्वारा श्री राजैया मल्याला (सिद्दीपेट) 19.03.02 पृष्ठ क्रमांक 445.
- नियम 377 के अधीन मामले द्वारा श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर हि0प्र0) 03.12.03 पृष्ठ क्रमांक 500.
- प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य– प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेई 02.05.03 (एल0टी0 7624/2003) पृष्ठ क्रमांक 345
- नियम 377 के अधीन मामले द्वारा श्री डी0 वेणूगोपाल (पिरुपत्तूर) 29.04.03 पृष्ठ क्रमांक 265.
- सामान्य बजट 2003–04 सामान्य चर्चा द्वारा श्री जोवाकिम बखला (अलीपुर द्वारस) 10.03.03 पृष्ठ क्रमांक 555.
- पूर्वान्ह 1–14 बजे निधन व बधाई सम्बन्धी उल्लेख द्वारा श्री प्रियरंजन दास मुंशी (रायगंज) 27.02.03 पृष्ठ क्रमांक 06
- नियम 377 के अधीन मामले द्वारा श्री अब्दुल्लाकुद्दी (कन्नौर) 08.12.04 पृष्ठ क्रमांक 697.

- राष्ट्रपति का अभिभाषण (संयुक्त बैठक) राष्ट्रपति श्री के0आर0 नारायणन 17.02.03 पृष्ठ क्रमांक 308.
- अध्यक्ष द्वारा उल्लेख (लोक सभा वाद–विवाद) श्री सोमनाथ चटर्जी 18.08.04 पृष्ठ क्रमांक 01
- नियम 377 के अधीन मामले (प्रश्न नं0 बारह) द्वारा श्री ई0 पोन्नूस्वामी (चिदंबरम) 02.12.04 पृष्ठ क्रमांक 384
- रेलवे बजट– 2005–06 द्वारा श्री लालू यादव (रेलमंत्री) 26.02.05 पृष्ठ क्रमांक 27
- श्री ठा0 चौबा सिंह इनर मनीपुर By President in Relation to the state of Manipur. 20 नवम्बर 2001 पेज सं0 468.
- श्री सुखदेव सिंह ढीढंसा (Youth Afairs & Sports minister) April 2000, पेज नं0 267
- Statement by Minister श्री सुखदेव सिंह ढीढंसा यूवा एवं खेलकूद मंत्री April 28/2000, पेज नं0 387
- नियम 377 के तहत प्रश्न पूछा गया द्वारा श्री ई0 पून्नू स्वामी (चिदंम्बरम) 24.03.05 पेज नं0 9323
- आम बजट 2005–06 द्वारा श्री सुखबीर सिंह बादल (NDA) 17.03.05 पेज नं0 6122
- एक सौ चौदह सेकन्ड से एक सौ चौदह सातवी रिपोर्ट द्वारा श्री अली मोहम्मद नायिक (अनंतनाग) 12.12.03 पेज नं0 298
- वाद विवाद–7 मार्च 2001 द्वारा श्री प्रियरंजन दास मुंशी (रायगंज) पेज नं0 375

- UNESCO: International Charter of Physical Education and Sports (proclaimed by 20th Session of UNESCO General Conference 1978, Paris Nov. 1978 (Article-1).
- Report of the committedx in Review the National Sports Policy and Operation Excellence, endorsed with latter No. F-119/90-S.P. IV dated 26th May 1992 issued by Govt. of India Ministry of Human Resource Development Department of Youth Affairs & Sports, New Delhi 1992.
- 1991 AIR SCW : 774 M.P. Fencing Association Vs. Shri Vidya Charan Shukla & ors.
- Demarcation of Responsibility in Govt. of India.
- The Gazette of India, Part-1-Sec-1, Department of Youth Affairs & Sports, New Delhi the 28th April 1987; 444.
- The Govt. of India Ministry of Youth Affiers & Sports; Rajya Sabha Starrt question No. 86 and 96 Aunsered by Minist. Of Youth Affairs & Sports (Sushri Uma Bharti) 24 Nov. 2000 New Delhi.
- Matter Under Rule 377 Laid द्वारा राजेश कुमार मांझी (गया) 15.03.05
- Calling Attention के तहत उठाये गये मामले द्वारा श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर कृष्णा नगर) 02.05.05 पृष्ठ क्रमांक 14703 से 14713
- Parliament of India Rajya Sabha No. 141, Department Related Parliamentary standing committee on Human Resource Development Rajya Sabha Secretariat New Delhi. Arpil 2003 : 13-14